न्यायालयः— विशेष सत्र न्यायाधीश शहडोल ,जिला शहडोल(म0प्र0)
(पीठासीनः— बी0एल0प्रजापति)

Registration No.	S.C.ATR. **54/2018**
CNR No.	MP1801-003774/2018
Fiiling No.	S.C.ATR. 3109/2018
Registration Date	26.10.2018

.....निर्णय .....
//आज दिनांक— 14.03.2023 को घोषित//

शिकायतकर्ता/अभियोजन पक्ष.	मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पुलिस थाना बुढ़ार जिला — शहडोल (म0प्र0)
अभियोजन अधिकारी	विशेष लोक अभियोजक श्री अरविंद द्विवेदी
अभियुक्तगण का नाम व पता	1. **राहुल कुमार नामदेव** उम्र करीब 31 वर्ष आत्मज श्री घनश्याम नामदेव, पेशा—मजदूरी, निवासी वार्ड नं05 पुरानी बस्ती बुढ़ार, थाना बुढ़ार, जिला शहडोल (म0प्र0) **2.सुमित सिंह कुचवदिया** उम्र करीब 23 वर्ष पिता स्व0 बबलू सिंह कुचवदिया, पेशा—पान का ठेला, निवासी वार्ड नं06 अतरिया टोला धनपुरी, थाना धनपुरी, जिला शहडोल (म0प्र0)
अधिवक्ता	सर्व श्री रवीन्द्र श्रीवास्तव एवं शैलेष नंदन श्रीवास्तव अधिवक्ता।

FORM-B

घटना दिनांक	दिनांक 02.08.2018 एवं 03.08.2018 के रात्रि 10 बजे से सुबह 06 बजे के मध्य।
प्रथम सूचना दिनांक	03.08.2018
अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक	26.10.2018
आरोप विरचित दिनांक	10.01.2019
अभियोजन साक्ष्य समाप्ति दिनांक	09.01.2023
बचाव साक्ष्य समाप्ति दिनांक	07.03.2023
अंतिम तर्क पश्चात निर्णय हेतु निर्धारित दिनांक	14.03.2023
निर्णय दिनांक दण्डादेश दिनांक यदि कोई हो	14.03.2023 14.03.2023

अभियुक्त का विवरण

Rank of The Accused	Name of Accused	Date of Arrest	Date of Release on Bail	Offence charged with	Whether Acquitted or Convicted	Sentence Imposed	Period of Detention Undergone during Trial for Purpose of section 428,Cr.C.P.
A1 रवि	राहुल कुमार नामदेव	01.09.2018	14.03.2023	धारा– 302 / 34 भा. दं0सं0 एवं धारा 3(2)(5) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989	दोषसिद्ध।	आजीवन कारावास एवं आजीवन कारावास तथा 5,000 / – व 5,000 / – रूपये के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर एक वर्ष व एक वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया।	01.09.2018 से 14. 03.2023 तक अर्थात् चार वर्ष 06 माह 13 दिवस
A2 रवि	सुमित सिंह कुचवदिया	01.09.2018	14.03.2023	धारा– 302 / 34 भा. दं0सं0 एवं धारा 3(2)(5) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989	धारा 3(2)(5) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 से दोषमुक्त, परन्तु धारा 302 / 34 भा0दं0सं0 में दोषसिद्ध।	आजीवन कारावास एवं 5,000 / – रूपये के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम पर एक वर्ष के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया।	01.09.2018 से 14. 03.2023 तक अर्थात् चार वर्ष 06 माह 13 दिवस

अभियोजन साक्षियों की सूची–

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (Eye Witness,Police Winess,Expert Witness,Medical Witness,Panch Witness,Other Witness)
PW-1	विमल कुमार श्रीवास्तव	निर्माणाधीन घर का मालिक।
PW-2	सुनील सिंह	निर्माणाधीन घर बनाने का ठेकेदार।
PW-3	मृत्युंजय सिंह	घटना के संबंध का साक्षी।
PW-4	धर्मंजय सिंह	घटना के संबंध का साक्षी।
PW-5	रामबोध कोल	मृतक का पुत्र।
PW-6	मन्नूलाल कोल	मृतक का भतीजा।
PW-7	सुरेश गिरि	निर्माणाधीन मकान का पड़ोसी।
PW8	अंतरा देवी सिंह	साक्षी के पुत्र द्वारा घटना के संबंध में दी गई जानकारी।
PW9	ज्ञानेन्द्र प्रसाद कोल	शव पंचायतनामा का साक्षी।
PW10	आनंद कुमार लोदी	आरोपीगण के मेमोरेण्डम कथन एवं जब्ती के संबंध का साक्षी।
PW11	आजाद लखेर	आरोपीगण के मेमोरेण्डम कथन एवं जब्ती के संबंध

		का साक्षी।
PW12	मुकेश विश्वकर्मा	फोटोग्राफर।
PW13	डॉ0 सचिन कारखुर	शव का पोस्टमार्टम करने एवं प्रतिवेदन देने का साक्षी।
PW14	रामाधार अहिरवार नायब तहसीलदार	आरोपी सुमित कुचवदिया की शिनाख्तगी कार्यवाही कराने का साक्षी।
PW15	शम्भू सिंह चौहान आरक्षक	अस्पताल से सीलबंद पैकेट लाकर थाना में देने का साक्षी।
PW16	अवधराज सिंह, प्रधान आरक्षक	वीडियोग्राफी जब्त करने का साक्षी।
PW17	रामकरण कोल आरक्षक	जब्त सामग्री को जांच हेतु एफएसएल सागर ले जाने का साक्षी।
PW18	नन्हूं सिंह मरावी	जब्त सामग्री को जांच हेतु एफ0एस0एल0 सागर ले जाने का साक्षी।
PW19	एस0एल0तिवारी, उपनिरीक्षक	विवेचक साक्षी।
PW20	बी0पी0सिंह बघेल, प्र0आरक्षक	डी0व्ही0डी0 जब्ती का साक्षी।
PW21	दीपक कुमार पटेल पटवारी	घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार करने का साक्षी
PW22	भरत दुबे, एसडीओपी	विवेचक साक्षी।
PW23	बी0एल0गौलिया उपनिरीक्षक	मर्ग जांच कार्यवाही का साक्षी।

बचाव साक्षी यदि कोई हों तो–

RANK	NAME	NATURE OF EVIDENCE (Eye Witness,Police Winess,Expert Witness,Medical Witness,Panch Witness,Other Witness)
	निरंक	निरंक

न्यायालय में प्रदर्शित दस्तावेज सूची अभियोजन /बचाव –

A- अभियोजन पक्ष–

क्रमांक	प्रदर्श क्रमांक	दस्तावेज विवरण
1	प्रदर्श पी.1 लगायत 3 (अ.सा.1)	मर्ग इंटीमेशन, प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं मौका नक्शा।
2	प्रदर्श पी.4, 5 (अ.सा.2), (अ.सा. 9)	सफीना नोटिस एवं पंचनामा।
3	प्रदर्श पी.6 (अ.सा.3)	धारा 161 दं0प्र0सं0 के तहत् पुलिस कथन।
4	प्रदर्श पी.7,8,9 (अ.सा.4)	शिनाख्तगी कार्यवाही का मेमो, धारा 164 दं0प्र0सं0 के तहत् मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया गया कथन एवं आदेश पत्रिका।
5	प्रदर्श पी.10,11,12 (अ.सा.5)	शव सुपुर्दगी पंचनामा, जाति प्रमाण पत्र की जब्ती एवं जाति प्रमाण पत्र।
6	प्रदर्श पी.13 (अ.सा.8)	धारा 161 दं0प्र0सं0 के तहत् पुलिस कथन।
7	प्रदर्श पी.14,15,16,17 (अ.सा.10) एवं (अ.सा.11)	आरोपीगण का मेमोरेण्डम कथन एवं जब्ती पत्रक।
8	प्रदर्श पी.18 (अ.सा.12),(अ.सा. 16) एवं (अ.सा.20)	डीवीडी का जब्ती पत्रक।
9	प्रदर्श पी.19 एवं 20 (अ.सा.13)	शव परीक्षण आवेदन एवं प्रतिवेदन।

10	प्रदर्श पी. 26,27,28 (अ.सा.13)	क्वेरी आवेदन, प्रतिवेदन एवं अभिमत।
11	प्रदर्श पी.21 (अ.सा.14)	जिला जेल शहडोल को शिनाख्तगी कार्यवाही हेतु भेजा गया पत्र।
12	प्रदर्श पी.19 (अ.सा.15)	जब्ती पंचनामा।
13	प्रदर्श पी. 22, 23 (अ.सा.17)	एफएसएल सागर को लिखा गया ज्ञापन एवं पावती।
14	प्र0पी024, 25 (अ.सा.18)	एफएसएल सागर को लिखा गया ज्ञापन एवं पावती।
15	प्र0पी026, 27, 28 (अ.सा.21)	घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार करने हेतु तहसीलदार को लिखा गया पत्र, नजरी नक्शा भेजने का पत्र एवं नजरी नक्शा।
16	प्र0पी029, 30, 31,32, 33,34, 35, 36, 37 (अ.सा.18)	धारा 164 दं0प्र0सं0 का कथन लेने हेतु जारी पत्र, आरोपीगण की गिरफ्तारी, परिजनों को सूचना, शिनाख्तगी हेतु जारी पत्र, एफएसएल जांच रिपोर्ट, धारा 164 दं0प्र0सं0 के तहत् लिया गया कथन।
17	प्र0पी038, 39, 40,41 (अ.सा.23)	कर्त्तव्य प्रमाण पत्र, जेएमएफसी को प्रथम सूचना रिपोर्ट भेजे जाने की पावती, ईंट के टुकड़े एवं मृतक के कपड़े की जब्ती।

B- बचाव पक्ष–

क्रमांक	प्रदर्श क्रमांक	दस्तावेज का विवराण
.1	प्र0डी01 (अ.सा.4)	धारा 161 दं0प्र0सं0 के तहत् पुलिस कथन।
.2	प्र0डी01(अ.सा.8)	धारा 161 दं0प्र0सं0 के तहत् पुलिस कथन।

C- न्यायालय द्वारा प्रदर्शित –

क्रमांक –	प्रदर्श क्रमांक –	दस्तावेज विवरण
	निरंक	निरंक

D- महत्वपूर्ण सामग्री–

क्रमांक –	सामग्री क्रमांक–	विवरण –
1	आर्टिकल–ए लगायत एफ आर्टिकल जी	लाश की फोटोग्राफ्स। डीवीडी।
2	आर्टिकल एच, आई, जे	डीव्हीडी, यूकेलिपटिस का डण्डा, लिफाफा।
3	आर्टिकल के, एल, एम एन	प्लास्टिक का डिब्बा, सादी मिट्टी, ईंट का टुकड़ा एवं मृतक का कपड़ा।

1– आरोपी राहुल कुमार नामदेव एवं सुमित सिंह कुचवदिया के विरूद्ध भा0दं0सं0 की धारा 302 सहपठित धारा 34 एवं धारा 3(2)(5) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 का आरोप है कि उन्होने घटना दिनांक 02.08.2018 की रात से दिनांक 03.08.2018 के सुबह 6.00 बजे के बीच पंचवटी मोहल्ला बुढ़ार में बिमल कुमार श्रीवास्तव के निर्माणाधीन मकान वाले प्लाट पर दोनो आरोपीगण एक साथ, एक राय होकर दलवी कोल की हत्या करने का सामान्य आशय बनाया और उसकी पूर्ति में साशय अथवा ज्ञानपूर्वक दलबी कोल के साथ मार–पीट कर उसकी मृत्यु कारित कर उसकी हत्या किया। उक्त दोनो आरोपीगण के विरूद्ध धारा 3(2)(5) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 का यह भी आरोप

है कि उक्त दिनांक व स्थान पर दलवी कोल को अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना जानते हुये एवं स्वयं अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य न होते हुये, दलवी कोल की साशय अथवा ज्ञानपूर्वक उसे मारकर उसकी हत्या किया, जो मृत्युदण्ड अथवा आजीवन कारावास तक के दण्ड से दण्डनीय अपराध है।

2— प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया था।

3— अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि—

अ. दिनांक 03.08.2018 को प्रातः 11.09 बजे सूचनाकर्ता बिमल कुमार श्रीवास्तव पिता स्वर्गीय बाला प्रसाद श्रीवास्तव, उम्र 57 वर्ष, निवासी वार्ड नं011 धनपुरी, बाबू लाईन, थाना धनपुरी ने थाना बुढ़ार को सूचित किया कि वह कोल माईंस जी0एम0 आफिस में ड्राफ्टमैन के पद पर नौकरी करता है, वह पंचवटी मोहल्ला बुढ़ार में एक प्लाट खरीद कर करीब 04 माह से उस प्लाट पर मकान बनवा रहा है। उसने उक्त मकान की देख—रेख के लिये ग्राम गोपालपुर के दरवी कोल को करीब 04 माह से रखा हुआ है, जो उसके मकान के बाजू में एक छोटा कमरा बना है, उसी में अकेला रहता था, उसका मकान, सुनील सिंह, ठेका में बना रहा है, वह बीच—बीच में जाकर देख—रेख कर लेता है। दिनांक 03.08.2018 को सुबह करीब 8.00 बजे वह अपने घर में था कि पंचवटी मोहल्ले का व सुरेश गिरी उसे मोबाइल पर फोन लगाकर बताया कि उसके घर का देख—रेख करने वाला चौकीदार मरा पड़ा हुआ है, तब वह अपने घर से पंचवटी मोहल्ला आया, अपने बन रहे मकान में जाकर देखा तो उसके मकान के बाजू में बने एक कमरे में जिसमें चौकीदार दलवी कोल रहता था, कमरे के बाजू में ही कुर्सी से नीचे गिरा पड़ा है, उसके चेहरे में रेत ढकी हुई है, कुर्सी के आस—पास तथा दीवाल में खून गिरा पड़ा है तथा कुर्सी के पास ही ईंट पड़ा है, जिसमें खून लगा हुआ है, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा दिनांक 02.08.2018 के रात करीब 10 बजे से दिनांक 03.08.2018 के सुबह करीब 6.00 बजे के बीच चौकीदार दलवी कोल की मारकर हत्या कर दिये हैं। उक्त सूचना पर से थाना बुढ़ार में मर्ग क्रमांक 56/18, अंतर्गत धारा 174 दं0प्र0सं0 के तहत् लेखबद्ध किया गया।

ब— थाना बुढ़ार के उपनिरीक्षक बी0एल0गौलिया ने मर्ग सूचना की प्रति एसडीएम सोहागपुर को भेजा तथा घटना स्थल पर पहुंचकर शव का पंचायतनामा तैयार करने हेतु साक्षियों को सफीना नोटिस दी तथा गवाहों की उपस्थिति में शव का निरीक्षण कर वास्तविक कारण जानने हेतु पी0एम0 कराया जाना उचित समझते हुए शव का पंचायतनामा प्र0पी05 तैयार किया, जिसकी प्रति एसडीएम सोहागपुर को भेजी एवं सूचनाकर्ता की निशादेही पर घटनास्थल का नजरी नक्शा प्र0पी03 तैयार किया एवं मृतक के शव का परीक्षण कराने हेतु आवेदन प्र0पी019 भरकर आरक्षक नीरज कुमार के साथ सीएचसी बुढ़ार भेजा एवं शव विच्छेदन रिपोर्ट प्राप्त की। मर्ग जांच के दौरान साक्षी सुनील सिंह, रामबोध कोल एवं तन्नू प्रजापति के कथन लेखबद्ध किये गये तथा मर्ग जांच के आधार पर थाना बुढ़ार में अपराध

क्रमांक 474/18 धारा 302 भा0दं0सं0 के तहत् प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की एवं उसकी प्रति जे0एम0एफ0सी0 बुढ़ार को भेजी। अपराध कायमी के पश्चात् साक्षी रामबोध कोल, सुनील सिंह, विमल कुमार श्रीवास्तव, ठेमाली कोल, मन्नू कोल एवं ददला कोल के धारा 161 दं0प्र0सं0 के तहत् कथन लेखबद्ध किये। दिनांक 03.08.2018 को ही साक्षियों के समक्ष घटना स्थल से खून आलूदा मिट्टी 100 ग्राम तथा सादी मिट्टी 100 ग्राम एवं एक ईंट का टुकड़ा जिसमें खून के धब्बे लगे थे, करीब आधा किलोग्राम का जब्त कर जब्ती पंचनामा तैयार किया। शव परीक्षण पश्चात् मृतक दलवी कोल का पहना हुआ नीले रंग का हाफ शर्ट जो चिकित्सक द्वारा सीलबंद पैकेट में दिया गया था, साक्षियों के समक्ष आरक्षक नीरज कुमार के पेश करने पर जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र0पी041 तैयार किया।

स– उपनिरीक्षक एस0एल0तिवारी ने विवेचना के दौरान साक्षी मृत्युंजय सिंह एवं सुरेश गिरि के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किया था। गवाहों के कथनों के पश्चात् प्रकरण में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(5) की धारा बढ़ाई गई थी। अग्रिम विवेचना भरत दुबे एस0डी0ओ0पी0 धनपुरी द्वारा की गई थी, जिसने नाबालिग साक्षी धर्मंजय सिंह के धारा 164 दं0प्र0सं0 के तहत् कथन लेखबद्ध करने हेतु न्यायिक दण्डाधिकारी बुढ़ार को पत्र जारी किया था एवं साक्षी के कथन न्यायिक दण्डाधिकारी बुढ़ार के समक्ष कराकर धारा 164 दं0प्र0सं0 के कथन प्रकरण में संलग्न किये गये। तथा तहसीलदार बुढ़ार को भी घटना स्थल का नक्शा तैयार करने हेतु पत्र लिखा था, जिसपर से पटवारी द्वारा घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया था। प्रकरण में जब्तसुदा डण्डा एवं ईंट के टुकड़े के संबंध में डाक्टर को पत्र लिखकर क्योरी रिपोर्ट चाही गई थी। आरोपीगण को गिरफ्तार कर उनका मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध करने के पश्चात् उनके बताए अनुसार स्थान व उनके द्वारा प्रस्तुत करने पर सामग्री जब्त की गई थी। मृतक दलवी कोल के जाति के संबंध में जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रकरण में संलग्न किया गया था तथा आरोपीगण की शिनाख्तगी कार्यवाही कराई गई थी। प्रकरण में जब्तसुदा मुद्देमाल एफएसएल जांच हेतु भेजकर प्र0पी035 एवं 36 की रिपोर्ट प्राप्त की गई थी।

द– सम्पूर्ण विवेचना में यह पाया गया कि घटना दिनांक को मृतक दलबी कोल की एकराय होकर आरोपी राहुल नामदेव ईंटा के टुकड़ा व सुमित कुचबदिया द्वारा लिप्टिस के डण्डे से सिर व चेहरे में गंभीर चोट पहुंचा कर हत्या कर देने के बाद मृतक दलबी कोल के जेब में रखे 400/– रूपये नगद आरोपी राहुल नामदेव ने निकाल लिया। अन्य औपचारिक विवेचना के उपरान्त थाना बुढ़ार द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध धारा 302, 404, 34 भा0दं0सं0 के साथ धारा 3(2)(5) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत् अभियोग पत्र इस न्यायालय में दिनांक 26.10.2018 को प्रस्तुत किया गया।

4– मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध निर्णय की कण्डिका क01 अनुसार आरोप लगाकर सुनाये व समझाये जाने पर उन्होंने जुर्म करने से इंकार किया तथा विचारण किये जाने की प्रार्थना की, जिससे

विचारण किया गया है। विचारण के पश्चात् धारा 313 दं0प्र0सं0 के तहत आरोपीगण परीक्षण किये जाने पर व बचाव में प्रवेश कराये जाने पर आरोपीगण ने अपने कथन में असत्य फंसाया जाना बताया गया है तथा कोई अपराध कारित न करना बताया है एवं झूंठा फंसाये जाने का बचाव लिया गया है। आरोपीगण द्वारा बचाव में रजनी कुचबधिया (ब0सा01) एवं घनश्याम नामदेव (ब0सा02) के कथन कराए गए हैं।

5— निर्णय हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय है :—

1— क्या आरोपी राहुल कुमार नामदेव एवं सुमित कुचबधिया ने घटना दिनांक 02.08.2018 की रात से दिनांक 03.08. 2018 के सुबह 6.00 बजे के बीच पंचवटी मोहल्ला बुढ़ार में बिमल कुमार श्रीवास्तव के निर्माणाधीन मकान वाले प्लाट पर दोनो आरोपीगण एक साथ, एक राय होकर दलवी कोल की हत्या करने का सामान्य आशय बनाया और उसकी पूर्ति में साशय अथवा ज्ञानपूर्वक दलबी कोल के साथ मार—पीट कर उसकी मृत्यु कारित कर उसकी हत्या किया ?

2— क्या उक्त दिनांक व स्थान पर दलवी कोल को अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना जानते हुये एवं स्वयं अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य न होते हुये, दलवी कोल की साशय अथवा ज्ञानपूर्वक उसे मारकर उसकी हत्या किया, जो मृत्युदण्ड अथवा आजीवन कारावास तक के दण्ड से दण्डनीय अपराध है?

निराकरण एवं निष्कर्ष के आधार
विचारणीय प्रश्न कमांक 1 लगायत 2

6— उक्त दोनो विचारणीय प्रश्न परस्पर संबंधित होने के कारण और साक्ष्य की विवेचना में सहूलियत की दृष्टि से उनके संबंध में साक्ष्य की विवेचना एक ही साथ की जा रही है।

7— इस प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा साक्ष्य की विवेचना के पूर्व माननीय उच्च न्यायालय के उस न्याय दृष्टांत का उल्लेख किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, जिसमें आपराधिक विधि के तीन प्रमुख सिद्धांतों को बताया गया है। माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **थावरिया विरूद्ध म0प्र0 राज्य 2004 (4) एम0पी0एल0जे0 पेंज 442** के मामले में यह विधि प्रतिपादित की गई है कि —

क— अभियोजन को आरोपी के विरूद्ध अपराध अपने संदेहातीत रूप से प्रमाणित करना चाहिए।

ख— अभियोजन को अपने पैर पर खड़े होकर मामले को प्रमाणित करना चाहिए।

ग— यदि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दो विचार संभव हों तो, जो विचार आरोपी के पक्ष में हो, उसे विचार में लेना चाहिए।

8— **न्याय दृष्टांत राजस्थान राज्य वि0 इस्लाम एआईआर**

2011 सुप्रीम कोर्ट 2317 एवं उपेन्द्र प्रधान विरूद्ध उडीसा राज्य, 2015 ए0आई0 आर0 (एस.सी.डब्ल्यू) 3074 , के मामले में भी माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा इस आशय का मत व्यक्त किया गया है कि अभियोजन को अपना मामला युक्ति–युक्त संदेह से परे प्रमाणित करना चाहिये, तभी आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया जा सकता है। यदि अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दो विचार संभव हों तो, जो विचार आरोपी के विचार का हो, उसे विचार में लेना चाहिए। न्याय दृष्टांत **शांति बाई विरूद्ध म0प्र0राज्य 1997(1) एम0पी0एल0जे0 674** के मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस आशय का मत व्यक्त किया गया है कि आपराधिक विधि का यह सुस्थापित नियम है कि किसी अपराध को साबित करने के उद्देश्य से अभियोजन को अपराध के प्रत्येक पहलू को यथोचित रूप से संदेह से परे अवश्य सिद्ध करना चाहिए।

9– उक्त विचारणीय बिन्दुओं में वर्णित अपराध को प्रमाणित करने के लिये अभियोजन को निम्न आवश्यक तत्व प्रमाणित करने होंगे :–

क– क्या मृतक दलबी कोल अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का सदस्य है तथा आरोपीगण अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं है?

ख– क्या मृतक दलबी कोल की मृत्यु मानव बधीय स्वरूप की थी?

ग– क्या आरोपीगण द्वारा मिलकर मृतक दलबी कोल की हत्या करने का सामान्य आशय बनाया और उसके अग्रशरण में मृतक दलबी कोल की स–आशय मानव बध किया गया, जो हत्या की श्रेणी में आता है?

घ– क्या आरोपीगण, मृतक दलबी कोल को अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना जानते हुये एवं स्वयं को अनुसूचित जाति या जनजाति का न होते हुये उसके साथ मृत्युदण्ड अथवा आजीवन कारावास हत्या का अपराध किया?

10. अभियोजन के इस मामले में सर्वप्रथम यह देखा जावे कि **क्या मृतक दलबी कोल अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य है और आरोपी राहुल कुमार नामदेव एवं सुमित कुचबदिया अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं है?** इस संबंध में अभियोजन साक्षी विमल कुमार श्रीवास्तव (अ0सा01) ने अपने कथन में बताया है कि मृतक दलबी ''कोल'' जाति का था, जो उसके निर्माणाधीन मकान में काम करता था। सुनील सिंह (अ0सा02) ने भी अपने कथन में बताया है कि मृतक दलबी ''कोल'' जाति का था, जो विमल श्रीवास्तव के निर्माणाधीन मकान में चौकीदारी का काम करता था, वह मकान का ठेका निर्माण हेतु लिया था, जिसका समर्थन सुरेश गिरी (अ0सा07), अंतरा देवी सिंह (अ0सा08) ने भी अपने कथन में किया है कि मृतक दलबी ''कोल'' जाति का था। रामबोध कोल (अ0सा05), मन्नूलाल कोल (अ0सा06) जो कि मृतक दलबी कोल के पुत्र हैं, ने भी यह बताया है कि मृतक दलबी कोल उनका पिता था, पुलिस ने उससे उसकी जाति के संबंध में जाति प्रमाण पत्र प्र0पी012 जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र0पी011 बनाया था।

11. अभियोजन साक्षी भरत दुबे एसडीओपी (अ0सा022) ने भी अपने कथन में बताया है कि दिनांक 10.10.2018 को मृतक दलबी कोल के पुत्र राम कोल द्वारा पेश किये जाने पर जाति प्रमाण पत्र प्र0पी012 अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर द्वारा जारी प्र0पी011 के जब्ती पंचनामा अनुसार जब्त किया था। प्रकरण में संलग्न जाति प्रमाण पत्र प्र0पी012 के अवलोकन से प्रकट होता है कि उक्त प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर, जिला शहडोल द्वारा प्र0क0 427/बी/121जाति प्रमाण पत्र दिनांक 08.10.2018 को जारी किया गया है, जिसका प्रमाण पत्र कमांक 460/0104/24765/2018 है, जिसमें राम कोल आत्मज स्वर्गीय दलबी कोल, निवासी गोपालपुर, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल को कोल जाति का होकर अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आना दर्शित होता है एवं इस जाति, जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन म0प्र0 राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है जो अनुसूची के अनुक्रमांक 25 पर अंकित है। उक्त तथ्य को आरोपी पक्ष की ओर से कोई चुनौती नहीं दी गई है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि मृतक दलबी कोल, ''कोल'' जनजाति का होकर **अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आता** है। यद्यपि अभियोजन द्वारा मृतक दलबी कोल का प्रमाण पत्र पेश नहीं किया गया है। दलबी कोल के पुत्र राम कोल का जाति प्रमाण पत्र पेश किया गया है। प्रति परीक्षण में भरत दुबे (अ0सा022) को कोई चुनौती नहीं दी गई है कि मृतक दलबी कोल ''कोल'' जाति का होकर अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत नहीं आता है और न ही चुनौती दी गई है कि राम कोल, दलबी कोल का लड़का नहीं है। साक्षी रामबोध कोल (अ0सा05) एवं मन्नूलाल कोल (अ0सा06) जो मृतक दलबी कोल के पुत्र हैं, के कथन से भी प्रमाणित है, जिससे मृतक दलबी कोल का प्रमाण पत्र प्रस्तुत न होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

12— आरोपी राहुल कुमार नामदेव की जाति के संबंध में साक्षी सुनील सिंह (अ0सा02) ने अपने कथन में बताया है कि वह राहुल नामदेव को पहचानता है। धर्मजय सिंह (अ0सा04) ने भी आरोपी राहुल नामदेव को पहचानना बताया है। रामबोध कोल (अ0सा05) ने भी आरोपी राहुल नामदेव को पहचानना बताया है। अंतरा देवी सिंह (अ0सा08) ने भी आरोपी राहुल नामदेव को पहचानना बताई है। आरोपी राहुल नामदेव के गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी032 में उसकी जाति नामदेव लेख है, जो अनुसूचित जाति, जनजाति में नहीं आता है, जैसा कि गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी032 की उप कण्डिका 10 में लेख है। गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी032 विवेचक भरत दुबे (अ0सा022) द्वारा तैयार किया गया है। आरोपी राहुल नामदेव द्वारा अपने अभियुक्त परीक्षण में भी अपनी जाति ''नामदेव'' बताया है। बचाव साक्षी घनश्याम नामदेव (ब0सा02) जो कि आरोपी राहुल नामदेव का पिता है, ने भी आरोपी की जाति नामदेव कथन में लेख कराया है। अभियोजन साक्षियों के प्रति परीक्षण में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है कि आरोपी राहुल नामदेव ''नामदेव'' जाति का नहीं है और अनुसूचित जाति/जनजाति का है, जिससे यह प्रमाणित है कि **आरोपी राहुल नामदेव ''नामदेव'' जाति का होकर अनुसूचित जाति/जनजाति के अंतर्गत नहीं आता है, अनुसूचित जाति/जनजाति से भिन्न श्रेणी के अंतर्गत आता है।**

13— आरोपी सुमित सिंह कुचवदिया की जाति के संबंध का जहां तक प्रश्न है, तो उसके गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी030 में कालम नं06 में उप कालम नं0 10 में उसकी जाति अनुसूचित जाति लेख की गई है। गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी030 विवेचक भरत दुबे (अ0सा022) द्वारा तैयार किया गया है। अभियोजन के किसी साक्षी ने यह नहीं कहा कि आरोपी सुमित कुचवदिया जाति का न होकर अन्य जाति का है। बचाव साक्षी रजनी कुचवदिया (ब0सा01) जो कि आरोपी सुमित कुचवदिया की मॉ है, ने अपने कथन में बताया है कि वह लोग कुचवदिया जाति के होकर अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं, इस संबंध का अपना जाति प्रमाण पत्र प्र0डी02, आरोपी सुमित कुचवदिया एवं अपनी पुत्री श्वेता कुचवदिया का जाति प्रमाण पत्र प्र0डी03, डी04 पेश किया है। प्र0डी04 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आरोपी की बहन श्वेता सिंह कुचवदिया पुत्री बबलू कुचवदिया, मॉ रजनी कुचवदिया निवासी नगर बुढ़ार, तहसील बुढ़ार, जिला शहडोल के नाम से कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल द्वारा प्र0क010070/बी—121/जाति प्रमाण पत्र दिनांक 31.08.2019 से प्रमाण पत्र क्रमांक आर एस/460/0104/24711/2019 जारी किया गया है, जिसके अनुसार कुचवदिया जाति की होकर संविधान के अनुच्छेद 341 की सूची 34 में दर्ज है। आरोपी सुमित कुचवदिया का कार्यालय, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, जिला शहडोल का प्रमाण पत्र दिनांक 05.09. 2011 प्र0डी03 पेश किया गया है, जिसमें भी उसकी जाति कुचवदिया लेख है।

14. बचाव साक्षी रजनी कुचवदिया (ब0सा01) के प्रति परीक्षण में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है कि उनकी जाति कुचवदिया जाति नहीं है और न ही वह अनुसूचित जनजाति में नहीं आते, जिससे यह प्रमाणित है कि **आरोपी सुमित कुचवदिया अनुसूचित जाति के अंतर्गत आता है,** वह अनुसूचित जाति/जनजाति से भिन्न श्रेणी में नहीं आता है।

15— अब विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या **मृतक दलवी कोल की मृत्यु मानव वधीय स्वरूप की थी या नहीं?** अभियोजन साक्षी विमल कुमार श्रीवास्तव (अ0सा01) द्वारा अपने कथन में बताया गया है कि मृतक दलबी कोल उसके निर्माणाधीन मकान में चौकीदारी का काम करता था, उसके घर का निर्माण ठेकेदार सुनील सिंह कर रहा था। घटना के समय वह अपने पुराने घर में था, उसे सुरेश गिरि जो कि उसके निर्माणाधीन घर के बगल में रहते हैं, का फोन आया था और बताया कि उसके यहां चौकीदारी करने वाले बब्बा की हत्या हुई है, उसका शरीर गले से उपर रेत में दबा हुआ है, तब वह निर्माणाधीन मकान में आया था और जाकर देखा। इसके बाद पुलिस थाना बुढ़ार जाकर मर्ग क्रमांक 56/18 प्र0पी01 अनुसार लेख कराया था। इस साक्षी के कथन का समर्थन सुनील सिंह ठेकेदार (अ0सा02) एवं सुरेश गिरि (अ0सा07) ने भी अपने कथन में किया है।

16— साक्षी विमल कुमार श्रीवास्तव (अ0सा01) ने अपने कथन में यह भी बताया है कि उसने अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध मृतक दलवी कोल

की हत्या के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी02 लेख कराया था। पुलिस ने उसकी निशादेही से नक्शा मौका प्र0पी03 बनाया था। साक्षी ने यह भी बताया है कि उसके निर्माणाधीन मकान के बाजू में एक स्टोर रूम बना हुआ था, उसी में मृतक दलबी कोल रहता था। जब वह मौके पर पहुंचा तो कमरे के बाहर चौकीदार बाबा दलबी कोल चित्त अवस्था में जमीन में पड़ा था, उसका सिर रेत में दबा हुआ था, वहीं पर एक ईंटा पड़ा था, जिसमें खून जैसा लगा दिख रहा था। थाने में सूचना देने के बाद पुलिस मौके में आई थी और मृतक का सिर रेत में दबा था, उसे निकाला गया था, उसके घर वालों को सूचना दी गई थी।

17— साक्षी बी0एल0 गोलिया (अ0सा023) जो कि दिनांक 03.08.2018 को पुलिस थाना बुढ़ार में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था, ने भी अपने कथन में बताया है कि सूचनाकर्ता विमल कुमार श्रीवास्तव, निवासी धनपुरी वार्ड नं011 बाबू लाईन द्वारा पुलिस थाना बुढ़ार आकर मृतक दलबी कोल की मृत्यु की सूचना प्र0पी01 लेख कराई गई थी, जिसके अनुसार मर्ग दर्ज किया था। साक्षी ने यह बताया है कि मर्ग क0 56/18 धारा 174 दं0प्र0सं0 के तहत् प्र0पी01 दर्ज कर उसकी एक प्रति एस0डी0एम0 सोहागपुर को भेजा गया था और घटना स्थल पहुंच कर शव का पंचायत नामा तैयार करने हेतु प्र0पी04 का सूचना पत्र साक्षियों को दिया था। साक्षी ने यह भी बताया है कि गवाहों की उपस्थिति में उसके द्वारा शव का निरीक्षण किया गया था। शव का निरीक्षण करने के पश्चात् साक्षियों की राय में अज्ञात व्यक्ति द्वारा मृतक दलबी कोल की मार–पीट किये जाने से उसके मुहं, ओंठ, नाक में गंभीर चोंट पाया जाना और उसी कारण से व काफी खून बह जाने से उसकी मृत्यु होना पाया गया था, किन्तु वास्तविक कारण जानने के लिये पी0एम0 कराना उचित माना गया था। साक्षी ने यह बताया है कि मृतक के मुहं, ओंठ, नाक में चोंटे पाई गई थी, मृतक घटना स्थल पर कुर्सी में बैठा पीछे लुढ़का हुआ था तथा गर्दन तक पूरा चेहरा रेत से ढका हुआ था। उसके द्वारा साक्षियों के समक्ष शव पंचायतनामा प्र0पी05 तैयार किया गया था, जिसकी एक प्रति एसडीएम सोहागपुर को भेजी गई थी। साक्षी के कथन का समर्थन ज्ञानेन्द्र प्रसाद कोल (अ0सा09), सुनील सिंह (अ0सा02), रामबोध कोल (अ0सा05) ने भी अपने कथन में किया है, जिनके समक्ष प्र0पी05 का शव पंचायतनामा तैयार किया गया था।

18— साक्षी बी0एल0गौलिया (अ0सा023) ने अपने कथन में यह भी बताया है कि उसके द्वारा सूचनाकर्ता विमल कुमार श्रीवास्तव के समक्ष नक्शा मौका प्र0पी03 बनाया गया था, जिसका समर्थन विमल श्रीवास्तव (अ0सा01) ने अपने कथन में किया है। साक्षी मुकेश विश्वकर्मा (अ0सा012) फोटोग्राफर द्वारा घटना के बाद पुलिस वालों के साथ घटना स्थल पर गया था और अपने कैमरे से फोटोग्राफ्स खींचकर अपने कम्प्यूटर से आर्टिकल ए लगायत एफ के फोटोग्राफ्स निकाले थे। प्रकरण में संलग्न फोटोग्राफ्स आर्टिकल ए लगायत एफ के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि मृतक कुर्सी पर बैठा हुआ पीछे की ओर लुढ़का हुआ है और उसका सिर रेत में दबा हुआ है। साक्षी मृत्युंजय सिंह (अ0सा03), रामबोध कोल (अ0सा05), मन्नूलाल

कोल (अ0सा06), सुरेश गिरि (अ0सा07) ने भी अपने कथन में बताया है कि जब वे मौके पर गए थे, तब मृतक दलबी कोल कुर्सी में बैठा हुआ पीछे की ओर लुढ़का था और उसका सिर बालू से ढका हुआ था, उसके सिर व मुहं में चोंटे थी।

19— साक्षी बी0एल0गौलिया (अ0सा023) ने अपने कथन में यह भी बताया है कि उसने मृतक के शव का परीक्षण कराने के लिये शव परीक्षण आवेदन प्र0पी019 तैयार कर आरक्षक क0 680 नीरज कुमार के साथ सी0एच0सी0 बुढ़ार भेजा था, जिसके संबंध में कर्त्तव्य प्रमाण प्र0पी038 जारी किया था। शव परीक्षण कराने के पश्चात् पृष्ठ भाग पर पालन प्रतिवेदन आरक्षक द्वारा लेख किया गया था। साक्षी ने अपने कथन में यह भी बताया है कि घटना स्थल से साक्षियों के समक्ष खून आलूदा मिट्टी 100 ग्राम, सादी मिट्टी 100 ग्राम, एक ईंट का टुकड़ा जिसमें खून लगा हुआ था, करीब आधा किलोग्राम का वजनी, प्र0पी040 के जब्ती पत्रक अनुसार जब्ती पंचनामा बनाया था और सीलबंद किया था और सील नमूना अंकित किया था। साक्षी ने अपने कथन में यह भी बताया है कि आरक्षक नीरज कुमार द्वारा मृतक का शव परीक्षण कराने के बाद उसका पहना हुआ नीले कलर का हाफ शर्ट जो चिकित्सक द्वारा सीलबंद करके पैकेट दिया गया था, उसे और सील नमूना को लाकर पेश किये जाने पर प्र0पी041 अनुसार जब्त किया था।

20— डॉ0 सचिन कारखुर (अ0सा013) द्वारा मृतक दलबी कोल के शव का परीक्षण सीएचसी बुढ़ार में दिनांक 03.08.2018 को किया गया था, जिसे आरक्षक क0 480 नीरज कुमार द्वारा लाया गया था, जैसा कि इस साक्षी ने अपने कथन में बताया है। साक्षी ने अपने कथन में यह भी बताया है कि मृतक दलबी कोल पिता धनताली कोल उम्र 65 वर्ष, निवासी गोपालपुर, थाना बुढ़ार, जिला शहडोल का शव परीक्षण हेतु लाए जाने पर उसने तथा डॉ0आर0के0वर्मा द्वारा संयुक्त रूप से शव परीक्षण कर प्रतिवेदन प्र0पी019 तैयार किया गया था। साक्षी ने अपने कथन में बताया है कि शव परीक्षण के समय उसने पाया था कि बाह्य परीक्षण में उसकी आंखे खुली हुई, मुहं खुला हुआ, बाएं तरफ चेहरा दबा हुआ, चेहरे में मिट्टी लगी हुई, गर्दन एवं कपड़े में खून लगा था, आसमानी नीले रंग की टी शर्ट पहने हुए था, जिसमें खून रेत लगा हुआ था, जिसके अंदर एक नीले रंग की टी शर्ट पहने हुए था, जिसमें भी खून लगा हुआ था, जिसे सीलबंद कर पैकेट पुलिस को दिया था। चेहरे से मिट्टी साफ करने के पश्चात् उसके सिर व चेहरे पर मृत्यु पूर्व चोट के निशान थे, चेहरे के बाईं तरफ सूजन थी, जो ढाई गुणे दो इंच आकार की थी।

21— डॉ0 सचिन कारखुर (अ0सा013) ने अपने कथन में यह भी बताया है कि आंतरिक परीक्षण किये जाने पर उन्होने पाया था कि चोट के पास विच्छेद करने पर सिर के अंदर ब्लड क्लाटेज मौजूद था, जो दो गुणे डेढ़ इंच आकार का था। चेहरे पर गहरा घाव था, जिसका आकार 1 गुणा 1/4 गुणा 1/2 इंच का था, मुहं के उपर वाले ओंठ में सूजन था, नाक

और जबड़े की हड्डी पर घाव मौजूद था, जिसका आकार 1 गुणा 1/2 इंच था, बाईं तरफ जबड़े और नाक की हड्डी में फ्रैक्चर था। बाईं तरफ की जाइगोमेटिक बोन टूटी हुई थी, नाक के नीचे मध्य भाग में घाव मौजूद था जो 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 इंच का था। ओंठ के नीचे बाएं तरफ सूजन व घाव था, जिसका आकार 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 इंच का था। दाएं तरफ का जबड़ा भी टूटा हुआ था और जीभ दबी हुई थी। चेहरे के दाएं तरफ सूजन थी, जो आकार में 2 गुणा डेढ़ इंच की थी, बाएं तरफ कंधे की हड्डी के नीचे छिलनदार सूजन आकार में 1/2 गुणित 1/2 गुणित 1/2 इंच एवं कालर बोन टूटी हुई थी, खोपड़ी और कशेरूका में गहरा लाल खून का थक्का जमा हुआ था, माथे के उपर दायें तरफ खून का थक्का जमा हुआ था, मृतक की सिल्ली, मष्तिष्क और मेरूरज्जु पेल थे, पर्दा, पसली व कोमलस्व, जिनपर चोंट नहीं थी, फुफ्फुस पेल था, कण्ठ एवं श्वासनली कन्जेस्टेड थे, दाहिना एवं बायां फेफड़ा पेल थे, हृदय के दोनो चेम्बर खाली थे। आंतो की झिल्ली पेल थी और उसके भीतर की वस्तुओं में अपचन सामग्री मौजूद थी, छोटी आंत एवं बड़ी आंत व उसके भीतरी भाग में मल मूत्र था। मृतक का लीवर एवं गुरदा पेल था, किडनी कन्जेस्टेड था, मूत्राशय खाली था, भीतरी एव बाह्य जननेन्द्रियों में कोई चोंट के निशान नहीं पाए गए थे।

22— डॉ0 सचिन कारखुर (अ0सा013) ने अपने अभिमत में बताया है कि मृतक के एक से अधिक चोंटे होने एवं हड्डी टूटने के कारण अधिक रक्तस्त्राव हो जाने से आघात लगने के कारण मृतक की मृत्यु हुई थी। मृतक की मृत्यु उनके शव परीक्षण के समय 12.30 बजे से 24 घंटे के अंदर हुई थी। साक्षी ने अपने कथन में बताया है कि प्र0पी020 की शव परीक्षण रिपोर्ट डॉ0आर0के0वर्मा की हस्तलिपि में तैयार की गई थी, वह, डॉ0 वर्मा की हस्तलिपि व हस्ताक्षर, साथ साथ रहने के कारण पहचानता है। डॉ0 सचिन कारखुर (अ0सा013) ने अपने प्रति परीक्षण के पैरा—4 में यह स्वीकार किया है कि शव परीक्षण प्र0पी020 में चोंटों की प्रकृति का उल्लेख नहीं किया गया था। चोंटे होमोसायडिल होने के संबंध में भी कोई अभिमत नहीं दिया गया है। कथन के पैरा—5 में स्वीकार किया है कि प्र0पी020 की रिपोर्ट में उसके द्वारा यह उल्लेख नहीं किया गया कि मृतक को आई चोंटे मृत्यु होने के लिये पर्याप्त थी। यह भी स्वीकार किया है कि प्र0पी020 में पाई गई चोंटे किस प्रकार के हथियार से पहुंचाई जा सकती है, यह उल्लेख नहीं किया गया है। इस तथ्य की संभावना बताई है कि वृद्ध व्यक्ति छत या दीवाल की उचाई से जमीन पर गिर जाए तो चोंटे आ सकती है। यह भी स्वीकार किया है कि चोंटे दुर्घटनाजनित भी हो सकती है। कथन के पैरा 6 में यह भी संभावना व्यक्त की है कि किसी व्यक्ति के उपर छत की उचाई से या छत से ईंटा गिरे और चेहरे पर लग जाए तो मृतक की चेहरे की चोट आना संभव है, किन्तु कुर्सी में बैठे होने से पीछे से जोर से धक्का देने पर चेहरे के बल सामने ईंटा के उपर गिरने से उक्त चोंटे आने से इंकार किया है।

23— साक्षी डॉ0 सचिन कारखुर (अ0सा013) ने अपने कथन के पैरा 7 में पुनः परीक्षण किये जाने पर बताया कि दिनांक 08.09.2018 को उक्त

अपराध क्रमांक 474/18 मे जब्तसुदा लिपटिस का सीलबंद डण्डा क्वेरी हेतु उसके पास आरक्षक क0 177 नन्हूं सिंह लेकर आया था, उसके साथ एक पत्र भी लाया गया था, जिसके माध्यम से यह पूंछा गया था कि मृतक के सिर, चेहरा व बदन में आई चोट डण्डे से आना संभव है अथवा नहीं और मृत्यु की प्रकृति के संबंध में स्पष्ट अभिमत चाहा गया था, तब उसने और डॉ0 आर0के0वर्मा द्वारा सीलबंद डण्डे को खोलकर देखा गया था और अभिमत प्राप्त पत्र में लेख किया कि उक्त डण्डे से मृतक को आई चोंट आना संभव है तथा बिन्दु क02 की क्वेरी के संबंध में लेख किया था कि मृत्यु की स्पष्ट प्रकृति के संबंध में मृत्यु की प्रकृति परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर निर्भर है। इस संबंध में प्र0पी026 के पत्र में अपना अभिमत एवं मृत्यु की स्पष्ट प्रकृति उसके एवं डॉ0 आर0के0वर्मा द्वारा लेख किया गया था।

24— साक्षी डॉ0 सचिन कारखुर (अ0सा013) ने अपने कथन में यह भी बताया है कि दिनांक 22.09.2018 को उक्त मामले में जब्तसुदा ईंटे का आधा टुकड़ा सीलबंद हालत में प्र0पी027 के पत्र के साथ थाना से आरक्षक अशोक धुर्वे लेकर आया था, जिसमें पूछा गया था कि मृतक के सिर, चेहरा, बदन में आई चोंटे ईंट के टुकड़े से आना संभव है अथवा नहीं और मृत्यु की प्रकृति के संबंध में स्पष्ट अभिमत चाहा गया था। उसके तथा डॉ0 आर0के0वर्मा द्वारा सीलबंद ईंट को खोलकर देखा गया था और पत्र प्र0पी027 में अभिमत लेख किया था कि उक्त ईंटा के टुकड़े से मृतक को आई चोंट आना संभव है तथा बिन्दु क02 मृत्यु की स्पष्ट प्रकृति के संबंध में यह लेख किया था कि मृत्यु की प्रकृति परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर निर्भर है। साक्षी ने यह भी बताया है कि दिनांक 10.10.2018 को अपराध क्रमांक 474/18 में पुलिस थाना बुढ़ार द्वारा पत्र प्र0पी028 भेजकर मृत्यु की प्रकृति स्पष्ट रूप से बताए जाने के संबंध में लेख किया गया था, जिसपर उसके एवं उसके साथी डॉ0आर0के0वर्मा द्वारा पत्र में ही नीचे यह अभिमत दिया गया था कि मृतक दलबी कोल द्वारा स्वयं नहीं पहुंचाई जा सकती और न ही वह सुसाइड कर सकता। जिस प्रकार की चोट उसके सिर व चेहरे में पाई गई थी, वह होमोसायडिल प्रकृति की थी। इस प्रकार उसके एवं डॉ0 आर0के0वर्मा द्वारा मृत्यु की स्पष्ट प्रकृति प्र0पी028 में लेख की गई थी। प्रतिपरीक्षण में यद्यपि साक्षी ने मृतक को आई चोंटे एक्सीडेंटल होने की संभावना व्यक्त की है किन्तु ऐसा कोई तथ्य नहीं है कि होमोसायडिल चोंटे नहीं थी, केवल एक्सीडेंटल स्वरूप की थी।

25— डॉ0 सचिन कारखुर (अ0सा013) के कथन, उसके तथा उसके साथी डॉ0आर0के0वर्मा द्वारा तैयार की गई शव परीक्षण रिपोर्ट प्र0पी020 व क्वेरी रिपोर्ट प्र0पी026, 27, 28 से यह प्रमाणित है कि मृतक दलबी कोल को सिर, चेहरे, मुहं, ओंठ, नाक, जबड़ा, कंधा में जो मृत्यु पूर्व चोंटे पाई गई थी, एक से अधिक चोंटे होने, हड्डी टूटने के कारण अत्यधिक रक्तस्त्राव होने व आघात लगने से हुई थी तथा चोंट की प्रकृति होमोसायडिल थी, उसके द्वारा स्वयं चोंटे नहीं पहुंचाई जा सकती और न ही वह सोसायडिल प्रकृति की चोंटे थी। यद्यपि एक्सीडेंटल चोंटे होने का अभिमत दिया गया है, जिसपर आगे साक्ष्य के आधार पर विचार किया जावेगा, किन्तु यह स्पष्ट है

कि मृतक की मृत्यु उसको आई गंभीर चोंटों के कारण हुई थी, जो होमोसायडिल प्रकृति की चोट प्रतीत होती थी।

26— अब विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या घटना दिनांक 02.08.2018 की रात से दिनांक 03.08.2018 के सुबह 6.00 बजे के बीच पंचवटी मोहल्ला बुढ़ार में बिमल कुमार श्रीवास्तव के निर्माणाधीन मकान वाले प्लाट पर दोनो आरोपीगण एक साथ, सामान्य आशय बनाकर, उसके अग्रशरण में दलवी कोल की हत्या साशय अथवा ज्ञानपूर्वक उसके साथ मार—पीट कर, उसकी मृत्यु कारित कर, उसकी हत्या किया? इस संबंध में अभियोजन साक्षी धर्मंजय सिंह (अ0सा04) बाल साक्षी ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपीगण को पहचानता है, पंचवटी मोहल्ले में रहता है। कथन दिनांक 24.1.2020 से करीब एक साल पहले की बात है, वह घर में था, उसकी बहन से बात—चीत होने के कारण मम्मी ने उसे मारने के लिये दौड़ाया तो वह अपने घर से निकल कर अपने घर के बगल में एक मकान में छिप गया था, करीब 9.00 बजे का समय रहा होगा, जब वह उस घर में छिपने के लिये घुसा तो देखा कि वहां पर एक बुड्ढा बब्बा जो उस मकान में देख रेख करता था तथा दोनो आरोपी वहां मौजूद थे। घटना के समय बब्बा कुर्सी में बैठा था, उसने देखा कि आरोपी राहुल ने ईंटा उठाकर बब्बा के चेहरे में मारा था और उसका दूसरा साथी आरोपी, बब्बा के पीछे सिर में ईंटा मारा था, बब्बा के सिर को पकड़ कर रेता में गाड़ दिये थे और उसके बाद आरोपीगण वहां से भाग गये थे, इसके बाद वह अपने घर आ गया था।

27— साक्षी धर्मंजय सिंह (अ0सा04) ने अपने कथन में यह भी बताया है कि घटना के संबंध में घर जाकर अपनी मम्मी को पूरी बात बताया था, उसने आरोपीगण को लाईट की रोशनी होने से पहचाना था। दूसरे दिन सुबह पता चला कि जिस बब्बा के साथ आरोपीगण मार पीट की है, वह मर गया है। घटना के दो दिन बाद वह अपने घर के बाहर खेल रहा था, आरोपी राहुल ने उसे बुलाकर लिपटिस के खेत तरफ ले गया और बोला कि उसने देखा है बब्बा को मारते हुए और उसका मुहं दबाने लगा, चिल्लाया तो छोंड़कर भाग गया, उसके बाद वह अपने घर आ गया और अपनी मम्मी को घटना के बारे में बताया था। घटना के बारे में पिता के घर आने पर उन्हें भी बताया था। इसके बाद उसके पिता उसे लेकर थाना बुढ़ार गये थे, वहां राहुल द्वारा किये गये घटना के बारे में पुलिस को बताया था, पुलिस ने उसका बयान लिया था। साक्षी ने यह भी बताया कि घटना दिनांक को वह राहुल को पहचानता था इसलिये उसका नाम बताया था, उसके साथ उसका दोस्त भी था, जिसे देखकर पहचानना पुलिस को बताया था। इसके बाद पुलिस उसे जेल में ले जाकर राहुल के दोस्त की पहचान कराई थी, उसने उंगली दिखाकर आरोपी कुचवदिया की पहचान की थी। शिनाख्तगी मेमो प्र0पी07 पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। यह भी बताया है कि घटना के संबंध में बुढ़ार न्यायालय में उसके प्र0पी08 के बयान हुए थे, जिसकी आदेश पत्रिका प्र0पी09 लेखबद्ध की गई थी। इस प्रकार इस साक्षी ने घटना की रात्रि आरोपी राहुल और उसके

साथी सुमित कुचवदिया द्वारा मृतक बब्बा दलबी कोल को ईंटों से मारकर रेता में गाड़ना देखा जाना बताया है। लाईट के उजाला में आरोपीगण को पहचानना बताया है।

28— अभियोजन साक्षी अंतरा देवी सिंह (अ0सा08) जो कि बाल साक्षी धर्मंजय सिंह (अ0सा04) की मॉ है, ने भी अपने कथन में उक्त साक्षी के कथन का समर्थन करते हुए बताया है कि मृतक दलबी कोल को श्रीवास्तव जी के निर्माणाधीन मकान में घटना के 4—5 माह पूर्व से चौकीदारी का काम करता था। घटना दिनांक को शाम 7—7.30 बजे के करीब उसकी पुत्री एवं उसके पुत्र के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो गया था, उसने अपने लड़के को मारने के लिये दौड़ाया तो वह अपने घर से बाहर चला गया था, 10 मिनट बाद वापिस आया तो उसने बताया कि सामने वाले चौकीदार बब्बा को दो लोग मार रहे थे, एक व्यक्ति हाथ में ईंटा लिया था, एक डण्डा लिये था, दोनो बब्बा को मार रहे थे। उसने अपने लड़के धर्मंजय सिंह को डांटा और बोला कि किसी को कुछ नहीं बताना, पुलिस परेशान करेगी। इसके 15 दिन बाद उसका लड़का घर के बगल में सायकिल चला रहा था तो आरोपी राहुल उसके लड़के को पकड़ कर पास ही यूकेलिपटिस के प्लांटेशन में ले गया और उसका मुहं दबाकर बोल रहा था कि जैसे बब्बा को मारा है, उसे भी मार देगा, तब उसका लड़का अपने आपको छुड़ाकर दौड़ते हुए आया और बताया।

29— अभियोजन साक्षी अंतरा देवी (अ0सा08) ने अपने कथन में यह भी बताया है कि उसके लड़के का मुहं उस समय लाल था, गाल में निशान था, वह दौड़कर लिपटिस के पेंड़ तरफ देखने गई तो देखा कि आरोपी उसे देखकर अपने घर तरफ भाग गया था, इसके बाद उसने अपने पति मृत्युंजय सिंह को फोन करके बताया था तब उसके पति घर आए और उसके पति मृत्युंजय सिंह अपने लड़के धर्मंजय सिंह को पुलिस थाना बुढ़ार लेकर गये थे, उसके लड़के ने पुलिस को घटना के बारे में बताया था। साक्षी ने यह भी बताया है कि जिस दिन उसका लड़का रात में आकर दो लड़कों द्वारा बब्बा की मार पीट करना बताई थी, सुबह उसे जानकारी मिली थी कि बब्बा चौकीदार की मृत्यु हो गई है, जिसे देखने के लिये वह भी गई थी। देखा था कि वह कुर्सी सहित पीछे की ओर गिरा हुआ था, पैर कुर्सी के उपर तथा सिर से गरदन तक रेत में गड़ा हुआ पड़ा था। इस साक्षी ने धर्मंजय सिंह (अ0सा04) के कथन का समर्थन किया है।

30— अभियोजन साक्षी मृत्युंजय सिंह (अ0सा03) जो कि धर्मंजय सिंह (अ0सा04) का पिता है, ने अपने कथन में बताया है कि उसके मोहल्ले पंचवटी में श्रीवास्तव जी का मकान बन रहा था, उस निर्माणाधीन मकान में एक चौकीदार रहता था, जिसका नाम उसे मालूम नहीं है। एक दिन सुबह पता चला कि चौकीदार कुर्सी पर बैठे—बैठे उसे ढकेल दिया गया था, जिससे उसका मुहं नीचे था और उसकी मुण्डी रेत में ढक गया था, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई थी, उसके मुहं में कई चोंटे आई थी। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में उसके लड़के द्वारा उसे कोई बात बताया जाना

इंकार किया है। पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर यह बताया है कि उसके लड़के धर्मंजय सिंह ने उसे बताया था कि चौकीदार की हत्या राहुल द्वारा मार पीट कर की गई है, किन्तु यह नहीं बताया था कि राहुल ने चेहरे में ईंट मारा था। उसके लड़के द्वारा राहुल के साथ एक और आदमी का होना बताया था, किन्तु उसका नाम नहीं बताया था। साक्षी द्वारा मृतक का नाम दलबी था या नहीं, स्पष्ट नहीं बताया किन्तु यह बताया कि चौकीदार कोल था। इस प्रकार इस साक्षी ने भी अपने पुत्र धर्मंजय सिंह द्वारा राहुल व उसके साथी द्वारा मृतक दलबी कोल की रात में मार–पीट किया जाना बताया है।

31– साक्षी विमल कुमार श्रीवास्तव (अ0सा01) एवं सुनील सिंह ठेकेदार (अ0सा02) ने अपने कथन में बताया कि घटना के समय विमल कुमार श्रीवास्तव का मकान निर्माणाधीन था, जिसका काम ठेके पर सुनील सिंह (अ0सा02) करा रहा था और मृतक दलबी कोल, उस निर्माणाधीन मकान में चौकीदारी का काम करता था। साक्षी ने यह भी बताया कि सुरेश गिरि जो कि निर्माणाधीन मकान के पास रहता था, उसके द्वारा घटना दिनांक को सुबह यह बताया था कि चौकीदार करने वाले बब्बा की हत्या हो गई है, उसका शरीर गले के उपर रेत में दबा हुआ है, तब जाकर उक्त दोनो ने मौके में देखा था तो मृतक दलबी कोल मृत अवस्था में कुर्सी में पड़ा था और उसका सिर रेत में दबा हुआ था। मौके पर खून लगा हुआ ईंटा पड़ा था। विमल श्रीवास्तव (अ0सा01) द्वारा पुलिस को मर्ग सूचना प्र0पी01 दी थी, जिसके आधार पर प्र0पी02 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई थी, जिसका समर्थन साक्षी बी0एल0गौलिया (अ0सा023) उपनिरीक्षक थाना बुढ़ार द्वारा अपने कथनों में की गई है। इस साक्षी द्वारा प्र0पी03 का नक्शा मौका भी मौके पर तैयार किया गया था। अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध अपराध क्रमांक 474/18 धारा 302 भा0दं0सं0 के तहत् प्र0पी02 के प्रथम सूचना रिपोर्ट अनुसार अपराध दर्ज करना बताया गया है।

32– साक्षी रामबोध कोल (अ0सा05) ने अपने कथन में आरोपी राहुल नामदेव को पहचानना बताया है, उसने बताया है कि एक बार उसने उसके पिता के पास आरोपी को तम्बाखू मांगते हुए देखा था, दूसरे आरोपी को पहचानने से इंकार किया है। यह बताया है कि घटना के पूर्व उसके पिता दलबी कोल बुढ़ार में विमल श्रीवास्तव के निर्माणाधीन मकान में चौकीदारी का काम करते थे। घटना दिनांक की सुबह ठेकेदार सुनील सिंह ने मोबाइल से उसके भतीजे कमलेश कोल को बताया था कि वह तत्काल आ जाओ, उसे अस्पताल लेकर जाना है, तब वह भतीजे के बताए अनुसार विमल श्रीवास्तव के निर्माणाधीन मकान में गया था, जहां उसके पिता मृत अवस्था में पड़े हुए थे, उसका सिर रेता में गड़ा हुआ था, मौके में बहुत सारे लोग एकत्रित हो गये थे। इसके बाद शव पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम कराया गया था और उसके पिता का शव अंतिम संस्कार हेतु प्र0पी010 के सुपुर्दगी पंचनामा अनुसार उसे सुपुर्दगी में दिया गया था। मन्नूलाल कोल (अ0सा06) जो मृतक दलबी कोल का लड़का है, ने भी उक्त साक्षी अनुसार ही कथन किया है। यह बताया है कि जब वह मौके पर पहुंचा तो उसके

पिता दलबी कोल कुर्सी में बैठे पीछे की ओर गिरे हुए थे और सिर रेता में गड़ा हुआ था। यह भी बताया कि सिर को रेत से बाहर निकाले जाने पर देखा था कि ईंटा से कुचला हुआ था, चेहरा खून से सना हुआ था, पहचान नहीं आ रहा था। सुरेश गिरि (अ0सा07) जो कि सुबह मृतक को देखा था, कुर्सी में बैठा हुआ नीचे की ओर गिरा हुआ था, उसका सिर रेत में गड़ा हुआ था तथा कुर्सी के बगल में जमीन पर खून के धब्बे थे। उसने विमल श्रीवास्तव जिसका मकान बन रहा था और ठेकेदार को फोन से घटना के बारे में बताया था।

33— साक्षी ज्ञानेन्द्र प्रसाद कोल (अ0सा09) ने भी बताया कि वह दिनांक 03.08.2018 को घटना स्थल पर पुलिस के बताने पर गया था और उसने देखा था कि मृतक दलबी कोल के मुहं और नाक में गंभीर चोंटे थी, उसकी मृत्यु रक्तस्त्राव होने से हो गई थी। नक्शा पंचायतनामा प्र0पी05 उसके सामने बनाया गया था। मृतक प्लास्टिक की कुर्सी में बैठा था और पीछे की ओर लुढ़का हुआ था, वहीं पर एक ईंट का टुकड़ा खून लगा हुआ पड़ा था।

34— साक्षी बी0एल0गौलिया (अ0सा023) ने अपने कथन में यह भी बताया है कि अपराध क्र0474/18 धारा 302 भा0दं0सं0 का अपराध दिनांक 03.08.2018 को दर्ज करने के पश्चात् उसकी एक प्रति जेएमएफसी बुढ़ार को प्र0पी039 की पावती अनुसार भेजा था। साक्षी ने यह भी बताया है कि उसने अपराध कायमी के पश्चात् साक्षी रामबोध कोल, सुनील सिंह, विमल श्रीवास्तव, ठेमानी कोल, मन्नू कोल, ददरा कोल के बताए अनुसार कथन लेख किया था। दिनांक 03.08.2018 को घटना स्थल पंचवटी मोहल्ला बुढ़ार से साक्षियों के समक्ष खून आलूदा मिट्टी एवं सादी मिट्टी 100—100 ग्राम व ईंट का टुकड़ा जिसमें खून के धब्बे लगे हुए थे, वजनी आधा किलोग्राम जब्त कर मौके में सीलबंद किया था और जब्ती पंचनामा प्र0पी040 तैयार किया था। यह भी बताया कि मृतक दलबी कोल के शव परीक्षण पश्चात् उसका पहना हुआ नीले रंग का हाफ शर्ट चिकित्सक द्वारा सीलबंद कर पैकेट आरक्षक नीरज कुमार को दिया था, जिसे लाकर पेश किये जाने पर उसके द्वारा जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र0पी041 तैयार किया था, जिसका समर्थन शम्भू सिंह चौहान (अ0सा015) द्वारा अपने कथन में किया गया है।

35— अभियोजन साक्षी बी0एल0गौलिया (अ0सा023) के कथन के समय मालखाना अनुभाग शहडोल से माल पर्चा क्र0 25/23 से संबंधित मुद्देमाल सीलबंद हालत में पेश होने पर उसमें प्राप्त ए,बी,सी,डी पैकेट जिन्हें क्रमशः आर्टिकल के, एल, एम, एन से चिन्हिंत किया गया। आर्टिकल के जिसमें पैकेट क्रमांक ए प्राप्त होने पर उसके अंदर प्लास्टिक के डिब्बे के अंदर खून आलूदा मिट्टी, आर्टिकल एल में पैकेट क्र0 बी, जिसके अंदर प्लास्टिक के डिब्बे के अंदर सादी मिट्टी, आर्टिकल एम जिसमें पैकेट क्र0 सी जिसके अंदर खून लगा हुआ ईंटा का टुकड़ा, आर्टिकल एन जिसमें पैकेट क्र0डी लेख था, उसे खोले जाने पर मृतक का कपड़ा प्राप्त हुआ, जिनके संबंध में इस साक्षी द्वारा यह बताया गया है कि यह वही पैकेट है जिन्हें मौके में जब्त किया गया था।

36— अभियोजन साक्षी एस.एल.तिवारी (अ.सा.19) उपनिरीक्षक द्वारा अपने कथन में बताया गया कि दिनांक 31.08.2018 को वह पुलिस थाना बुढ़ार में पदस्थ रहते हुए अपराध क्रमांक 474/18 धारा 302 भा0दं0सं0 की केस डायरी विवेचना में प्राप्त होने पर उसके द्वारा उक्त दिनांक को साक्षी धर्मंजय सिंह पिता मृत्युंजय सिंह उम्र 11 वर्ष, अंतरा देवी सिंह तथा मृत्युंजय सिंह एवं सुरेश गिरि के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किया था। धर्मंजय सिंह (अ0सा04) ने प्र0डी01 का ए से ए एवं बी से बी भाग का कथन, अंतरा देवी (अ0सा08) ने प्र0डी01 का ए से ए भाग का कथन, सुरेश गिरि (अ0सा07) ने प्र0पी013 का ए से ए भाग का कथन लिया था। तत्पश्चात् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(5) का अपराध बढ़ाए जाने पर केस डायरी अग्रिम विवेचना हेतु थाना प्रभारी को वापिस किया था।

37— अभियोजन साक्षी भरत दुबे (अ0सा022) तत्कालीन एसडीओपी धनपुरी द्वारा इस अपराध की विवेचना की गई थी। साक्षी ने बताया है कि अपराध क्रमांक 474/18, धारा 302, 304/34 भा0दं0सं0 एवं धारा 3(2)(5) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण), अधिनियम 1989 की केस डायरी अग्रिम विवेचना हेतु प्राप्त होने पर नाबालिग धर्मंजय सिंह का धारा 164 दं0प्र0सं0 के तहत् न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बुढ़ार के समक्ष कथन कराने हेतु आवेदन पत्र प्र0पी029 तैयार किया था और कथन कराया था तथा तहसीलदार बुढ़ार को घटना स्थल का नक्शा व पटवारी प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु पत्र क्र0 428/18 प्र0पी026 अनुसार जारी किया था, जिसका समर्थन दीपक कुमार पटेल (अ0सा021) हल्का पटवारी क्र018 बुढ़ार ने भी अपने कथन में किया है कि प्र0पी026 के पत्र के पालन में दिनांक 04.09.2018 को तहसीलदार बुढ़ार श्री विकास चन्द्र मिश्रा द्वारा निर्देशित किये जाने पर दिनांक 13.09.2018 को घटना स्थल पर जाकर उसके द्वारा नजरी नक्शा प्र0पी028 तैयार किया गया था, जिसमें लाल स्याही से घटना स्थल चिन्हिंत किया गया था तथा प्र0पी027 के पत्र के साथ तहसीलदार बुढ़ार को एसडीओपी कार्यालय धनपुरी दिये जाने हेतु, दिया था।

38— अभियोजन साक्षी भरत दुबे (अ0सा022) ने अपने कथन में यह भी बताया है कि दिनांक 01.09.2018 को आरोपी सुमित कुचवदिया को अभिरक्षा में लेकर उससे पूछतांछ कर मेमोरेंडम कथन प्र0पी015 लेख किया था, जिसमें आरोपी सुमित कुचवदिया द्वारा डण्डा अपने घर में चारपाई के नीचे छिपाकर रखने और चलकर बरामद कराने का तथ्य बताया था, जिसके संबंध में आरोपी को उसके घर अतरिया टोला बुढ़ार साक्षियों के समक्ष लेकर गया था और आरोपी द्वारा साक्षियों के समक्ष अपने घर से एक यूकेलिपटिस का सरई का डण्डा निकाल कर पेश करने पर आरोपी से साक्षियों के समक्ष प्र0पी017 के जब्ती पत्रक अनुसार जब्त किया था और आरोपी सुमित कुचवदिया को प्र0पी030 के गिरफ्तारी पंचनामा अनुसार गिरफ्तार किया था, उसके पश्चात् गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजन वीरेन्द्र सिंह को देकर पावती प्र0पी031 तैयार किया था।

39— अभियोजन साक्षी भरत दुबे (अ0सा022) ने अपने कथन में यह भी बताया है कि उक्त दिनांक को ही आरोपी राहुल नामदेव को अभिरक्षा में लेकर साक्षियों के समक्ष पूंछताछ कर मेमोरेण्डम प्र0पी014 तैयार किया था, जिसमें उसने ढाई सौ रूपये अपने घर में बिस्तर के नीचे रखने और चलकर बरामद कराने का तथ्य प्रकट किया था, जिसपर से उसे उसके पुरानी बस्ती बुढ़ार स्थित घर लेकर गए थे, जहां से उसके एवं साक्षियों के समक्ष ढाई सौ रूपये निकाल कर पेश किये जाने पर प्र0पी016 अनुसार साक्षियों के समक्ष जब्त कर जब्ती पंचनामा तैयार किया था। तत्पश्चात् आरोपी राहुल नामदेव को साक्षियों के समक्ष प्र0पी032 के गिरफ्तारी पंचनामा अनुसार गिरफ्तार किया था एवं गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजन घनश्याम नामदेव प्र0पी033 अनुसार पावती दी थी। इस साक्षी द्वारा प्र0पी014 एवं प्र0पी015 के मेमोरेण्डम एवं प्र0पी016 एवं पी017 की जब्ती कार्यवाही साक्षी आनंद कुमार कोरी (अ0सा010), आजाद लखेर (अ0सा011) के समक्ष की गई है, जैसा कि उक्त दस्तावेजों से स्पष्ट है। किन्तु उक्त दोनो साक्षियों ने उनके सामने प्र0पी014, 15 के मेमोरेण्डम, प्र0पी016, 17 की जब्ती कार्यवाही आरोपी सुमित कुचवदिया एवं राहुल नामदेव से किये जाने के तथ्य को इंकार किया है। पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी अभियोजन का कोई समर्थन नहीं किया है।

40— अभियोजन साक्षी भरत दुबे (अ0सा022) ने अपने कथन में यह भी बताया है कि दिनांक 08.09.2018 को डॉ0 एस0 कारखुर सीएचसी बुढ़ार को एक पत्र प्र0पी026 क्वेरी रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु प्रकरण में जब्तसुदा डण्डा भेजकर क्वेरी चाही गई थी। तत्पश्चात् दिनांक 22.09.2018 को डॉ0 एस0ठाकुर एवं डॉ0 आर0के0वर्मा को प्र0पी027 का क्वेरी पत्र के साथ जब्त ईंट का टुकड़ा भेजकर क्वेरी चाही गई थी कि मृतक को आई चोंटे ईंट के टुकड़े से आना संभव है या नहीं, उसके पश्चात् दिनांक 10.08.2018 को पुनः प्र0पी028 का पत्र भेजकर यह लेख किया गया था कि मृत्यु की प्रकृति होमोसायडिल, सोसायडिल अथवा एक्सीडेंटल है, के संबंध में जानकारी चाही गई थी, जिसका समर्थन डॉ0 सचिन कारखुर (अ0सा013) ने भी किया है।

41— साक्षी भरत दुबे (अ0सा022) ने अपने कथन में यह भी बताया है कि दिनांक 04.09.2018 को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सोहागपुर को तहसीलदार से आरोपियों की शिनाख्तगी कार्यवाही कराए जाने के संबंध में पत्र प्र0पी034 लेख किया था। शिनाख्तगी कार्यवाही होने के पश्चात् शिनाख्तगी कार्यवाही का मेमो प्र0पी07 अभिलेख में संलग्न किया था। अभियोजन साक्षी रामाधार अहिरवार, नायब तहसीलदार (अ0सा014) ने अपने कथन में बताया है कि दिनांक 08.09.2018 को उसके द्वारा अपराध क्रमांक 474/18 के आरोपी सुमित कुचवदिया पिता बबलू कुचवदिया, उम्र 18 वर्ष निवासी अटरिया टोला बुढ़ार की शिनाख्तगी पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 10.09.2018 को सुबह 11.00 बजे जिला जेल शहडोल में शिनाख्तगी कार्यवाही हेतु प्र0पी021 का पत्र अधीक्षक, जिला जेल शहडोल को भेजा था। दिनांक 10.09.2018 को जिला जेल शहडोल पहुंच कर 2.40 बजे आरोपी सुमित

कुचवदिया की शिनाख्तगी परेड कराई गई थी, जिसमें आरोपी से मिलते जुलते कद कांठी के पांच लोग मिलाए गए थे, जिन्हें गले के नीचे कम्बल से ढका गया था, शिनाख्तगीकर्ता धर्मंजय सिंह पिता मृत्युंजय सिंह निवासी पंचवटी मोहल्ला बुढ़ार द्वारा आरोपी सुमित कुचवदिया के सिर पर हाथ रखकर पहचान की गई थी, जिसके संबंध में शिनाख्तगी मेमो प्र0पी07 उप जेल अधीक्षक के समक्ष तैयार किया गया था, जिसमें सुमित कुचवदिया आरोपी व मिलते जुलते आरोपियों के हस्ताक्षर कराए गए थे। इस प्रकार इस साक्षी ने आरोपी सुमित कुचवदिया की शिनाख्तगी परेड कार्यवाही कराया जाना बताया है। यह भी बताया है कि धर्मंजय सिंह द्वारा सुमित कुचवदिया की पहचान प्र0पी07 के शिनाख्तगी मेमो अनुसार की गई थी।

42— साक्षी भरत दुबे (अ0सा022) ने यह भी बताया है कि दिनांक 20.09.2018 को मुकेश विश्वकर्मा द्वारा पेश किये जाने पर नाबालिग साक्षी धर्मंजय सिंह के कथन कि वीडियोग्राफी की डीव्हीडी तैयार कर पेश किये जाने पर प्र0पी018 के जब्ती पंचनामा अनुसार साक्षियों के समक्ष जब्त किया था, जिसका समर्थन साक्षी मुकेश विश्वकर्मा (अ0सा012), साक्षी अवधराज सिंह (अ0सा016) एवं बी0पी0सिंह बघेल प्रधान आरक्षक (अ0सा020) ने भी अपने कथन में किया है। न्यायालय में प्रस्तुत डीव्हीडी को इस साक्षी के कथन के समय आर्टिकल एच से चिन्हिंत किया गया है। साक्षी ने यह भी कथन किया है कि दिनांक 10.10.2018 को मृतक दलबी कोल के पुत्र राम कोल द्वारा पेश किये जाने पर जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सोहागपुर द्वारा जारी प्र0पी012 को प्र0पी011 के जब्ती पंचनामा अनुसार साक्षियों के समक्ष जब्त किया था।

43— अभियोजन साक्षी रामकरण कोल, आरक्षक (अ0सा017) ने अपने कथन में बताया है कि पुलिस थाना बुढ़ार में पदस्थ रहते हुए दिनांक 10.09.2018 को पुलिस थाना बुढ़ार के उक्त अपराध में जब्त एक अदद् यूकेलिपटिस का डण्डा सीलबंद हालत में पुलिस अधीक्षक, शहडोल के ज्ञापन क्रमांक पु0अ0/शह0/एफएसएल/290/2018 दिनांक 10.09.2018 प्र0पी022 के साथ दस्तावेज एफआईआर, मर्ग इंटीमेशन, पी0एम0 रिपोर्ट, क्वेरी रिपोर्ट की प्रतियां एवं सील नमूना सीएचसी बुढ़ार के साथ एफएसएल सागर लेकर गया था, जहां दिनांक 13.09.2018 को जमा कर पावती रसीद प्र0पी023 प्राप्त कर प्रधान आरक्षक लेखक थाना बुढ़ार को दिया था। इसी तरह साक्षी नन्हूं सिंह मरावी आरक्षक (अ0सा018) ने भी अपने कथन में बताया है कि दिनांक 18.08.2018 को पुलिस थाना बुढ़ार में आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त अपराध में जब्त खून आलूदा रेत, मिट्टी का एक सीलबंद डिब्बा, सादी मिट्टी का एक सीलबंद डिब्बा, एक ईंट का टुकड़ा सीलबंद पैकेट, मृतक दलबी कोल की शर्ट सीलबंद पैकेट, पुलिस अधीक्षक, शहडोल के ज्ञापन क्रमांक पु0अ0/शह0/ एफएसएल/275/2018 दिनांक 08.08.2018 प्र0पी024 के साथ दस्तावेज एफआईआर, मर्ग इंटीमेशन, पी0एम0 रिपोर्ट, जब्ती पत्रक दो प्रतियों में एवं सील नमूना सीएचसी बुढ़ार के साथ एफएसएल सागर लेकर गया था, जहां दिनांक 20.08.2018 को जमा कर पावती रसीद प्र0पी025 प्राप्त किया था और वापिस आकर प्रधान आरक्षक लेखक बुढ़ार को दिया था।

44— पुलिस अधीक्षक कार्यालय के ड्राफ्ट प्र0पी022 से आरोपी सुमित कुचवदिया से एक अदद् जब्त यूकेलिपटिस का डण्डा खून आलूदा सीलबंद जांच हेतु एफएसएल सागर भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट प्र0पी035 अभिलेख में संलग्न है। इसी तरह पुलिस अधीक्षक कार्यालय के ड्राफ्ट प्र0पी024 के साथ घटना स्थल की खून आलूदा रेत मिट्टी, सादी रेत मिट्टी, पृथक—पृथक डिब्बों में सीलबंद तथा मौके में जब्त ईंट का खून आलूदा टुकड़ा सीलबंद पैकेट एवं मृतक दलबी कोल की खून आलूदा शर्ट एफएसएल भोपाल जांच हेतु भेजा गया था, जिनकी रिपोर्ट प्र0पी036 अभिलेख पर है। जैसा कि साक्षी भरत दुबे (अ0सा022) ने अपने कथन में बताया है। प्र0पी035 की एफएसएल रिपोर्ट के अवलोकन से जब्त डण्डा जिसे आरोपी सुमित कुचवदिया से जब्त होना बताया गया है, आर्टिकल ई के परीक्षण में एफएसएल द्वारा डण्डे में रक्त होना पाया गया किन्तु रक्त मानव रक्त होना और किस रक्त समूह का होना, परीक्षण नहीं किया गया क्योंकि धब्बे विघटित पाए गए हैं।

45— प्र0पी036 की एफएसएल रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रदर्श ए, खून आलूदा मिट्टी एवं प्रदर्श बी सादी मिट्टी जो घटना स्थल से जब्त की गई है, प्रदर्श सी ईंट का टुकड़ा घटना स्थल से जब्त, प्रदर्श डी में शर्ट डी—1, टीशर्ट डी—2 जो मृतक दलबी कोल से जब्त की गई है, का एफएसएल सागर द्वारा परीक्षण किये जाने पर प्रदर्श बी जो कि सादी मिट्टी है, में रक्त होना नहीं पाया गया। प्रदर्श ए खून आलूदा मिट्टी, प्रदर्श सी ईंट का टुकड़ा जो मौके से जब्त किये गये थे तथा प्रदर्श डी—1 की शर्ट एवं प्रदर्श डी—2 की टीशर्ट जो मृतक दलबी कोल की होना बताए गए हैं, में रक्त होना पाया गया है, जिनमें परीक्षण किये जाने पर प्रदर्श डी—1 एवं डी—2 शर्ट व टीशर्ट में मानव रक्त होना पाया गया है, जब कि प्रदर्श ए खून आलूदा मिट्टी में प्रदर्श सी ईंट के टुकड़े में पाए गए रक्त के धब्बों में धब्बे विघटित होने से यह परिणाम नहीं पाया गया कि मानव रक्त था और प्रदर्श ए और सी में धब्बे विघटित होने से किस रक्त समूह का रक्त था, परिणाम नहीं पाया गया तथा प्रदर्श डी—1 व डी—2 में रक्त समूह के संबंध में अनिश्चित परिणाम पाए गए हैं।

46— **आरोपीगण की ओर से यह तर्क** किया गया है कि आरोपीगण ने कोई अपराध नहीं किया है, उन्हें मिथ्या फंसाया गया है। यह भी तर्क किया गया है कि आरोपी राहुल नामदेव और सुमित कुचवदिया आपस में दोस्त नहीं है। मृतक दलबी कोल को आई चोंटे दुर्घटनात्मक भी हो सकती हैं, केवल होमोसायडिल चोंटे नहीं है, जैसा कि डॉ0 सचिन कारखुर (अ0सा013) ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 11 में स्वीकार किया है। कथन के पैरा—6 में यह भी स्वीकार किया है कि यदि कुर्सी पर बैठे किसी व्यक्ति के उपर छत की उंचाई से या छत से ईंटा गिरे और चेहरे पर लग जाए तो मृतक को आई चोंट संभव है। आरोपी राहुल नामदेव से कोई ईंटा जब्त नहीं हुआ, आरोपी सुमित कुचवदिया से यूकेलिपटिस की लकड़ी जब्त की गई, किन्तु उससे मृतक को चोंट आना संभव नहीं है, जिससे युक्ति—युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि मृतक को आरोपी

गण द्वारा ही स–आशय ईंटे व डण्डे से चोंटे पहुंचाई गई, जिससे मृत्यु हुई। यह भी तर्क किया गया है कि घटना दिनांक 02.08.2018 व 03.08.2018 के सुबह 6.00 बजे के मध्य की है। मर्ग रिपोर्ट प्र0पी01 में किसी आरोपी का नाम नहीं लिखाया गया कि मृतक को किसने मारा है। घटना के 20 दिन बाद प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के रूप में बाल साक्षी धर्मंजय सिंह (अ0सा04) को शामिल किया गया है, उसने घटना दिनांक से दिनांक 25.08.2018 तक अपने पिता या अन्य को घटना नहीं बताया, मॉ को घटना बताना, बताया है किन्तु उसकी मॉ अंतरा देवी (अ0सा08) ने किसी को घ ाटना नहीं बताया। इसके अतिरिक्त साक्षी धर्मंजय सिंह (अ0सा04) ने अपने पुलिस कथन प्र0डी01 में घटना के 20 दिन बाद दिनांक 31.08.2018 के 5–6 दिन पहले आरोपी राहुल नामदेव द्वारा उसके साथ घटना कारित किया जाना बताया गया है। धारा 164दं.प्र.सं. के प्र.पी.8 के कथन में घटना दिनांक को ही आरोपी राहुल नामदेव द्वारा उसे देखा जाना और उसके मुहं दबाने की कोशिश करना बताया गया है। न्यायालयीन कथन में घटना के दो दिन बाद राहुल नामदेव आरोपी द्वारा उसे लिपटिस के खेत में ले जाना और उसके साथ घटना कारित किया जाना, बताया है। प्र.डी.1 के पुलिस कथन में घटना के 20 दिन बाद उसके साथ घटना होने का कथन देने से इंकार किया गया है। विरोधाभासी कथन किया गया है, जो विश्वसनीय साक्षी नहीं है।

47– आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि धर्मंजय सिंह (अ0सा04) की मॉ अंतरा देवी (अ0सा08) ने अपने प्र0डी01 के पुलिस कथन में कथन दिनांक 31.08.2018 के 5–6 दिन पूर्व आरोपी राहुल नामदेव द्वारा उसके पुत्र धर्मंजय सिंह को सूनसान स्थान पर ले जाकर उसके साथ घटना कारित किया जाना, बताया, लेकिन न्यायालयीन कथन में घटना के 15 दिन बाद उसके पुत्र के साथ आरोपी राहुल नामदेव द्वारा घटना कारित किया जाना बताया गया है, परस्पर विरोधाभासी हैं। अंतरा देवी (अ0सा08) ने उसके लड़के द्वारा घटना दिनांक को ही आरोपी राहुल व उसके साथी द्वारा घटना कारित किया जाना, बताये जाने पर किसी अन्य व्यक्ति को या अपने पति को नहीं बताया गया। घटना के दूसरे दिन पुलिस भी मौके पर आई थी किन्तु पुलिस को भी कोई जानकारी नहीं दिया, जो स्वाभाविक नहीं है। घटना के कई दिन बाद अपने पति से बताई है, जिससे इस साक्षी का कथन भी विश्वसनीय नहीं है। धर्मंजय सिंह के अतिरिक्त अन्य कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है।

48– उपरोक्त तर्कों के परिप्रेक्ष्य में मामले को देखा जाए तो आरोपीगण की ओर से अपने बचाव में ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई कि आरोपीगण को मिथ्या फंसाया गया है या किसी रंजिश के कारण फंसाया गया है। साक्षी घनश्याम नामदेव (ब0सा02) का कथन कराया गया है, जिसने यह बताया है कि आरोपी राहुल नामदेव उसका पुत्र कक्षा दसवीं की परीक्षा वर्ष 2013 में पास की थी, जिसकी अंकसूची प्र0डी05, छायाप्रति प्र0डी05सी पेश किया है। यह भी बताया है कि आरोपी राहुल वर्ष 2016 से मानसिक रोगी है, उसका ईलाज रीवा मेडिकल कालेज के मनोचिकित्सक

डॉ0 प्रदीप कुमार का चल रहा था। दिनांक 09.09.2016, 04.11.2016, 26.11.2016 को दिखाया था। दिनांक 04.09.2016 को ब्रेन मैटिंग भी कराई गई थी, जिसके संबंध में प्र0डी06 लगायत डी08 व डी09 के दस्तावेज पेश किये गये हैं। यह भी कथन किया है कि जेल जाने के बाद आरोपी राहुल नामदेव का जेल प्रशासन द्वारा इलाज कराया गया थ था, जिसके संबंध में आरटीआई से प्राप्त दस्तावेज प्र.डी.10 लगायत डी.28 प्रस्तुत किया है, उसका पुत्र घटना दिनांक के पूर्व से मानसिक रोग से ग्रसित था, उसके द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गई, उसे झूंठा फंसाया गया है।

49— बचाव साक्षी घनश्याम नामदेव (ब0सा02) द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्र0डी06 लगायत 9 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि आरोपी राहुल नामदेव वर्ष 2016 में मानसिक रोग से पीड़ित हुआ था और उसका इलाज रीवा मेडिकल कालेज में कराया गया था और उसका ब्रेन मैपिंग भी कराई गई थी, किन्तु दिनांक 26.12.2016 के पश्चात् घटना दिनांक तक कोई ईलाज कराया गया है, ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। प्रति परीक्षण में स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को राहुल ईलाज कराने गया था, ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया, न ही ऐसा कोई दस्तावेज पेश किया कि घटना दिनांक को घटना की अवधि में राहुल उसके साथ था, अर्थात् घटना स्थल पर मौजूद नहीं था। प्रति परीक्षण में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि बीच–बीच में उसका पुत्र ठीक हो जाता था व अपने से कपड़े पहन लेता था, उसके साथ दुकान में बैठता था, जब वह दुकान में नहीं होता था, तब भी बैठता था, जिससे यह नहीं कहा जा सकता कि घटना दिनांक को आरोपी राहुल नामदेव मानसिक रोग से ग्रसित था और घटना के समय वह इलाजरत था। यह भी नहीं माना जा सकता कि आरोपी घटना के समय, घटना स्थल पर मौजूद नहीं था। ऐसा कोई कथन बचाव साक्षी द्वारा नहीं किया गया कि उसे रंजिशवश फंसाया गया है।

50— भारतीय दण्ड संहिता की धारा 84 यह प्रावधान करती है कि कोई बात अपराध नहीं है जो उसे कारित करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति, या यह कि जो कुछ वह कर रहा है, वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ है। इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई कि घटना दिनांक 02.08.2018–03.08.2018 को आरोपी राहुल नामदेव विकृतचित था व उसका इलाज घटना के समय चल रहा था। साक्षी धर्मंजय सिंह (अ0सा04) व किसी अन्य साक्षी से ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया गया कि आरोपी राहुल नामदेव घटना के समय चित–विकृत था और चित–विकृत अवस्था में घटना कारित की। अभियुक्त परीक्षण में भी आरोपी राहुल नामदेव ने ऐसा कोई कथन नहीं किया कि घटना दिनांक को चित–विकृत अवस्था में घटना कारित किया है। यह अवश्य बताया है कि वह घटना के पूर्व से मानसिक रोग से पीड़ित था, जिसका इलाज चल रहा था, किन्तु 2016 के बाद से घ ाटना दिनांक 02.08.2018 तक कोई इलाज कराया गया, ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। घनश्याम नामदेव (ब0सा02) उसके

पिता द्वारा ने स्वीकार किया है कि बीच–बीच में ठीक हो जाता था, उसका लड़का उसके साथ दुकान में बैठता था और जब वह नहीं होता था तब उसका लड़का दुकान में बैठता था। प्र0डी010 लगायत 28 के दस्तावेज दिनांक 04.02.2019 से लेकर 07.03.2019 तक के हैं। प्र0डी011 की रिपोर्ट में भूतपूर्व हिस्ट्री में चार साल से मानसिक रोग से पीड़ित होना लेख किया गया है किन्तु इसके संबंध में चिकित्सक का कथन नहीं कराया गया और यदि मान भी लिया जाये तो घटना के समय आरोपी विकृत–चित अवस्था में था और विकृत–चित स्थिति में घटना कारित किया, ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे धारा 84 भा0दं0सं0 का लाभ आरोपी राहुल नामदेव को नहीं दिया जा सकता है।

51– आरोपी राहुल नामदेव ने अपने साथी सुमित सिंह कुचवदिया के साथ मिलकर मृतक दलबी कोल की ईंट व डण्डों से मार पीट कर हत्या की और उसका सिर बालू में ढक दिया था। बाल साक्षी धर्मंजय सिंह (अ0सा04) ने घटना कारित करते हुए देखा है। साक्षी धर्मंजय सिंह (अ0सा04) व उसके परिवार से कोई रंजिश हो, ऐसा भी कोई कथन साक्षी घनश्याम नामदेव (ब0सा02) द्वारा नहीं किया गया है कि रंजिशवस उसके लड़के राहुल नामदेव को फंसाया गया है, जिससे विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है कि आरोपी राहुल नामदेव घटना के समय मानसिंक रोग से ग्रसित था और उसके द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गई, रंजिशवश फंसाया गया है।

52– आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता का जहां तक यह तर्क कि मृतक दलबी कोल को दुर्घटनात्मक चोंटे आई हैं, तो इस संबंध में डॉ0 सचिन कारखुर (अ0सा013) ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 11 में यद्यपि यह स्वीकार किया है कि मृतक दलबी कोल को आई चोंटे दुर्घटनात्मक भी हो सकती हैं तथा कथन के पैरा 6 में यह स्वीकार किया है कि यदि कुर्सी पर बैठे किसी व्यक्ति के उपर छत की उंचाई से या छत से ईंटा गिरे और चेहरे पर लग जाए तो चोंट आना संभव है। किन्तु बचाव पक्ष की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई कि घटना दिनांक को छत से ईंटा गिरने से मृतक को चोंटे आई थी। डॉ0सचिन कारखुर(अ0सा013) द्वारा ऐसा कोई कथन नहीं किया गया कि केवल दुर्घटनात्मक चोंटे पाई गई थी। डॉ0 सचिन कारखुर(अ0सा013) के कथन एवं शव परीक्षण प्रतिवेदन प्र0पी020 के अनुसार मृतक दलबी कोल के सिर व चेहरे में मृत्यु पूर्व के कई चोंट के निशान व सूजन पाई गई। आंतरिक परीक्षण में सिर के अंदर ब्लड क्लाटेज 2 **X** डेढ़ इंच, चेहरे पर घाव 1 **X** 1/4**X** 1/2 इंच, मुहं के उपर ओंठ, नाक, जबड़े में सूजन व जबड़े में घाव, नाक की हड्डी में फ्रैक्चर था, बाईं तरफ जायगोमेटिक बोन टूटी हुई थी, नाक के मध्य घाव था, ओंठ के नीचे सूजन व घाव, दायें तरफ जबड़ा टूटा था, चेहरे में दायें तरफ सूजन, बाएं तरफ कंधे में सूजन कालर बोन टूट हुई पाई गई थी। एक से अधिक चोंटे पाए जाने व हड्डी टूटने, अत्यधिक रक्तस्त्राव होने से आघात लगने से मृत्यु होना पाई गई है। ऐसा नहीं है कि केवल एकल चोंट पाई गई है।

नक्शा मौका प्र0पी03, आर्टिकल ए लगायत एफ के फोटोग्राफ्स के अवलोकन से ऐसी कोई परिस्थितियां प्रकट नहीं होती है कि छत से ईंटा या मलवा मृतक के उपर गिरने से चोंटे आई थी।

53— मृतक दलबी कोल के एक से अधिक चोंटे थी, फ्रैक्चर था, आर्टिकल ए लगायत एफ के फोटोग्राफ्स के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मृतक को चोंटे पहुंचाये जाने के बाद जिस कुर्सी में वह बैठा था, उसे ढकेल कर, मृतक का पूरा चेहरा छाती तक बालू में ढक दिया गया था। ऐसा प्रकट नहीं होता कि मृतक के कुर्सी में बैठे–बैठे लुढ़क जाने से बालू में दब गया हो, बल्कि चोंटे पहुंचाई जाकर उसे लुढ़का कर बालू में दबाया गया है। डॉ0 सचिन कारखुर (अ0सा013) ने अपने कथन के पैरा 9 में प्र0पी028 की क्वेरी रिपोर्ट में स्पष्ट अभिमत दिया है कि मृतक को आई चोंटे स्वयं के द्वारा नहीं पहुंचाई जा सकती और न ही वह सुसाइड कर सकता। जिस प्रकार की चोंटे सिर व चेहरे में पाई गई हैं, उससे मृत्यु की प्रकृति होमोसायडल प्रतीत होती थी। उक्त चिकित्सक द्वारा अपनी प्र0पी026, 27 की क्वेरी रिपोर्ट में मृतक को आई चोंटे ईंट के टुकड़े और आरोपी सुमित कुचवदिया से जब्त लिपटिस के डण्डे से आना संभव होना बताया है, जिससे मृतक को जो चोंटे मृत्यु पूर्व आई थी, वह दुर्घटनात्मक चोंटे नहीं थी, बल्कि आरोपी राहुल नामदेव ने ईंटे से व सुमित कुचवदिया ने लिपटिस के डण्डे से पहुंचाई हैं, जैसा कि धर्मंजय सिंह (अ0सा04) ने अपने कथन में बताया है कि उसने राहुल नामदेव ने ईंट से और सुमित कुचवदिया ने लिपटिस के डण्डे से मृतक दलबी कोल को चोंटे पहुंचाई थी, उसने देखा है।

54— बाल साक्षी धर्मंजय सिंह (अ0सा04) ने अपने कथन के पैरा 1 में यद्यपि राहुल नामदेव एवं उसके साथी आरोपी द्वारा ईंट से मृतक को मारना बताया है और उसका सिर रेता में गाड़ दिया था, यह बताया है। किन्तु कथन के पैरा–5 में स्पष्ट किया है कि राहुल ने ईंटा से मारा था और दूसरे आरोपी ने डण्डा से मारा था। यह भी बताया है कि उपर उसने दोनो आरोपी द्वारा ईंट से मारने वाली बात भूलवश बताया था, जिससे यह स्पष्ट है कि आरोपी राहुल ने ईंट से और आरोपी सुमित कुचवदिया ने लिपटिस के डण्डे से मृतक दलबी कोल को चोंटे पहुंचाई थी और उसका सिर पकड़ कर रेत में गाड़ दिया था, जिस कारण से उसकी मृत्यु हुई है। साक्षी धर्मंजय सिंह (अ0सा04) का विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया है किन्तु ऐसा कोई तथ्य नहीं आया कि उसके द्वारा राहुल नामदेव व सुमित कुचवदिया को मृतक दलबी कोल के साथ मार–पीट करते नहीं देखा था। प्रति परीक्षण में यह तथ्य अखण्डित रहा है।

55— आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता का जहां तक यह तर्क कि प्र0पी01 की मर्ग रिपोर्ट में किसी भी आरोपी का नाम नहीं लिखा गया है कि मृतक को किसने मारा था। यह सही है कि प्र0पी01 की मर्ग रिपोर्ट में किसी आरोपी का नाम लेख नहीं है, मर्ग रिपोर्ट प्र0पी01 घटना के दूसरे दिन 03.08.2018 को 11.09 बजे दर्ज की गई है, जिसे विमल कुमार

श्रीवास्तव द्वारा दर्ज किया गया है, उस समय तक कोई जानकारी नहीं थी कि किसने मारा है। धर्मंजय सिंह (अ0सा04) बाल साक्षी द्वारा घटना के बाद जब उसके साथ आरोपी राहुल नामदेव द्वारा घटना कारित की गई, उसके साथ मार पीट की गई क्योंकि उसने मृतक दलबी कोल को मारते देखा था, तब अपने घर में घटना बताए जाने से आरोपीगण का नाम सामने आया है, जिससे प्र0पी01 में आरोपीगण का नाम न लिखे होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

56— आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता का जहां तक यह तर्क कि बाल साक्षी धर्मंजय सिंह (अ0सा04) ने अपने पिता व अन्य किसी को दिनांक 25.08.2018 तक घटना के बारे में नहीं बताया, केवल मॉ अंतरा देवी (अ0सा08) को बताया था किन्तु उसने भी किसी को घटना के बारे में नहीं बताया। यह सही है कि धर्मंजय सिंह (अ0सा04) ने अपने कथन में घटना के बाद अपने घर आकर मॉ को घटना के बारे में बताना, बताया है और यह भी बताया है कि उसने लाईट की रोशनी में आरोपीगण को पहचाना था। अंतरा देवी (अ0सा08) ने भी अपने कथन में बताया है कि उसके लड़के ने आकर बताया था कि चौकीदार बब्बा को दो लोग मार रहे थे, एक डण्डा लिये था एवं एक ईंट मार रहा था, तब उसने अपने लड़के धर्मंजय सिंह को डांटा था और कहा था कि किसी को नहीं बताना, पुलिस परेशान करेगी, क्योंकि धर्मंजय सिंह नाबालिग लड़का था और उसकी मॉ को बताया था, किन्तु मॉ पुलिस के डर के कारण किसी को नहीं बताया। कथन के पैरा—10 में भी स्पष्ट बताया है कि वह पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिये किसी को नहीं बताया था। कथन के पैरा—12 में बताया है कि यदि राहुल उसके लड़के के साथ विवाद न करता तो वह मृतक की हत्या के संबंध में रिपोर्ट नहीं करता। जब आरोपी ने उसके लड़के के साथ घटना कारित की, क्योंकि उसने आरोपीगण द्वारा मृतक को मारते हुए देखा था। उक्त बाल साक्षी को आरोपी राहुल नामदेव ने मार पीट किया था और डराया—धमकाया था, तब आरोपीगण के बारे में बताया गया है। यह स्वाभाविक भी प्रतीत होता है क्योंकि कोई भी मॉ अपने पुत्र को खतरे में नहीं डालना चाहती किन्तु जब उसके पुत्र के साथ घटना कारित की गई, डराया, धमकाया गया, तब आरोपीगण का नाम बताया गया था कि उन्होने मृतक दलबी कोल को मारा है।

57— साक्षी धर्मंजय सिंह (अ0सा04) ने यद्यपि अपने न्यायालयीन कथन में मृतक दलबी कोल के साथ हुई घटना के दूसरे दिन उसके साथ राहुल नामदेव द्वारा घटना कारित किया जाना बताया गया है और घर आकर अपनी मॉ व पिता को बताना, बताया है और यह बताया है कि इसके बाद बुढ़ार थाना गये थे, जैसा कि कथन के पैरा—2 में बताया है। जब कि अभियोजन कहानी के अनुसार घटना के 20 दिन बाद दिनांक 25.08.2018 को आरोपी राहुल नामदेव द्वारा उक्त बाल साक्षी के साथ घटना कारित की गई है, साक्षी धर्मंजय सिंह (अ0सा04) ने कथन के पैरा—6 में प्र0डी01 के पुलिस कथन में उल्लिखित 20 दिन बाद उसके साथ घटना कारित किया जाना और घटना के बारे में अपने पिता को बताया जाना,

लिखाए जाने से इंकार किया है। साक्षी अंतरा देवी (अ0सा08) ने अपने पुलिस कथन प्र0डी01 में पुलिस कथन दिनांक 31.08.2018 के 5–6 दिन पूर्व उसके पुत्र के साथ आरोपी राहुल द्वारा घटना कारित किया जाना लेख कराया गया था, जब कि न्यायालयीन कथन में घटना के 15 दिन बाद उसके पुत्र के साथ घटना कारित किया जाना बताया है। उक्त साक्षियों के कथन में थोड़ा बहुत विरोधाभास है किन्तु ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है कि बाल साक्षी धर्मंजय सिंह (अ.सा.4) ने आरोपीगण द्वारा मृतक दलबी कोल को मार–पीट करते हुए नहीं देखा गया और न ही आरोपी राहुल नामदेव द्वारा घटना के बाद उक्त साक्षी के साथ कोई घटना कारित की गई है।

58– धर्मंजय सिंह (अ0सा04) बाल साक्षी के न्यायालयीन कथन दिनांक 24.01.2020 को हुए हैं तथा अंतरा देवी (अ0सा08) के कथन दिनांक 19.02.2020 को हुए हैं। घटना के काफी दिन बाद न्यायालयीन कथन हुए हैं, जिससे चक्षुदर्शी बाल साक्षी धर्मंजय सिंह के साथ आरोपी राहुल नामदेव द्वारा घटना कारित करने के समय के संबंध में उक्त जो विरोधाभास आया है, वह स्वाभाविक प्रतीत होता है। चूंकि ऐसा कोई खण्डन कथनों में नहीं आया कि उक्त चक्षुदर्शी बाल साक्षी ने मृतक दलबी कोल के साथ आरोपीगण द्वारा घटना कारित करते हुए नहीं देखा गया है और न ही ऐसा कोई तथ्य आया कि घटना के बाद आरोपी राहुल नामदेव ने चक्षुदर्शी बाल साक्षी धर्मंजय सिंह के साथ कोई घटना कारित नहीं की, जिससे उक्त विरोधाभास से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

59– आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया कि अभियोजन साक्षी भरत दुबे (अ0सा022) द्वारा आरोपी सुमित कुचवदिया को अभिरक्षा में लेकर प्र0पी015 के अनुसार मेमोरेण्डम कथन लिया जाना और उसकी सूचना पर उसके घर से घटना में प्रयुक्त यूकेलिपटिस का डण्डा पेश करने पर जब्त किया जाना बताया गया। इसी तरह आरोपी राहुल नामदेव को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ कर प्र0पी014 का मेमोरेण्डम लेख किया जाना और आरोपी राहुल की सूचना पर से मृतक दलबी कोल से निकाले गए 400/– रूपये में से 250/– रूपये उसके घर से निकाल कर पेश किये जाने पर प्र0पी016 के जब्ती अनुसार जब्त किया गया है। किन्तु मेमोरेण्डम जब्ती के संबंध में स्वतंत्र साक्षियों द्वारा समर्थन नहीं किया गया है, जिससे मेमोरेण्डम जब्ती का तथ्य केवल विवेचक के कथन के आधार पर विश्वसनीय नहीं है।

60– आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता के उक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख के अवलोकन से यह सही है कि आरोपी सुमित कुचवदिया के मेमोरेण्डम प्र0पी015 एवं जब्ती प्र0पी017 तथा आरोपी राहुल नामदेव के मेमोरेण्डम प्र0पी014 एवं जब्ती प्र0पी016 के साक्षी आनंद कुमार तोडी (अ0सा010) एवं आजाद लखेर (अ0सा011) ने भरत दुबे (अ0सा022) के कथनों का समर्थन नहीं किया कि उनके सामने दोनो आरोपीगण को अभिरक्षा में लेकर पूंछताछ की गई थी और आरोपी राहुल नामदेव ने

प्र0पी014 मेममोरेण्डम कथन एवं आरोपी सुमित कुचवदिया का मेमोरेण्डम सूचना कथन प्र0पी015 उनके सामने दिया था और मेमोरेण्डम सूचना के आधार पर आरोपी राहुल नामदेव से प्र0पी016 के जब्ती पंचनामा अनुसार 250/– रूपये बताए गए स्थान से घर से पेश करने पर व आरोपी सुमित कुचवदिया से प्र0पी017 के जब्ती पंचनामा अनुसार एक यूकेलिपटिस का डण्डा बताए गए स्थान से पेश करने पर जब्त किया गया है। उपरोक्त दोनो साक्षियों को पक्ष विरोधी घोषित करने के बाद भी अभियोजन का कोई समर्थन नहीं किया है, जिससे उक्त संबंध में केवल विवेचना अधिकारी भरत दुबे (अ0सा022) का ही कथन अभिलेख पर है।

61– **न्यायदृष्टांत <u>नाथू सिंह वि0 म0प्र0 राज्य एआईआर 1973 सु0को0 2783</u>** के मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा मत प्रतिपादित किया गया है कि केवल इसलिए ही पुलिस अधिकारी का कथन अविश्वसनीय नहीं माना जायेगा कि वह पुलिस अधिकारी है, स्वतंत्र साक्षी ने समर्थन नहीं किया जब तक कि आरोपी से उसकी रंजिश या उसके विरोधी होने के तथ्य साबित न हो जाये या उसका खुद का कथन विश्वसनीय न हो, इसी आशय का मत **न्यायदृष्टांत <u>मनोज कुमार शुक्ला वि0 म0प्र0 राज्य 2004(4) एमपीएलजे 179</u>** के मामले में माननीय म0प्र0 उच्च न्यायालय द्वारा मत प्रतिपादित किया गया है। **न्यायदृष्टांत <u>राजू उर्फ सुरेन्द्रनाथ सोनकर वि0 म0प्र0 राज्य 2021 सीआरएलजे 688</u>** के मामले में म0प्र0 उच्च न्यायालय द्वारा यह भी मत प्रतिपादित किया गया है कि यह विधि का अनुभवसिद्ध नियम नहीं है कि पुलिस अधिकारी का कथन सभी परिस्थितियों में अस्वीकार होगा या ऐसा कथन तभी स्वीकार किया जा सकता है जब कि उसे स्वतंत्र साक्षीगण के कथनों से समर्थन प्राप्त हो यदि पुलिस अधिकारी के कथन विश्वासयोग्य हो तो उसके कथन के आधार पर दोषसिद्ध किया जा सकता है भले ही स्वतंत्र साक्षी समर्थन न करें।

62– अभियोजन के मामले में उपरोक्त विधि की स्थिति को देखते हुये केवल स्वतंत्र साक्षी आनंद कुमार तोडी (अ0सा010) एवं आजाद लखेर (अ0सा011) के द्वारा समर्थन न किये जाने के आधार पर ही विवेचक साक्षी भरत दुबे एसडीओपी (अ0सा022) के कथन को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। उक्त साक्षी का प्रति परीक्षण में कथन खण्डित नहीं है कि उसके सामने पुलिस अभिरक्षा में आरोपी राहुल नामदेव एवं सुमित कुचवदिया ने कोई मेमोरेण्डम सूचना प्र0पी014, 15 अनुसार नहीं दी और न ही राहुल नामदेव के कब्जे से उसके घर से पेश करने पर 250/– रूपये प्र0पी016 अनुसार तथा आरोपी सुमित कुचवदिया से एक यूकेलिपटिस का डण्डा प्र0पी017 अनुसार उसके घर से पेश करने पर जब्त नहीं किया। विवेचक से आरोपीगण की कोई दुश्मनी या रंजिश होना भी प्रमाणित नहीं है। ऐसा कोई तथ्य भी नहीं आया, जिससे यह माना जावे कि रंजिशन कार्यवाही की गई है, जिससे विद्वान अधिवक्ता का उक्त संबंध में तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। विवेचक भरत दुबे (अ0सा022) के कथन के आधार पर मेमोरेण्डम के आधार पर दी गई सूचना और उसके आधार पर आरोपीगण से की गई जब्ती का तथ्य प्रमाणित है। आरोपी सुमित कुचवदिया से जब्त लकड़ी के डण्डे में एफएसएल रिपोर्ट प्र0पी035 अनुसार रक्त लगा होना पाया गया है, जो उक्त डण्डा उसके घर से बरामद हुआ है। डण्डे में रक्त कैसे लगा, इसका कोई स्पष्टीकरण आरोपी की ओर से नहीं दिया गया है।

63— आरोपी राहुल नामदेव के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया कि बाल साक्षी धर्मंजय सिंह (अ0सा04), आरोपी को घटना दिनांक के पहले से नहीं जानता था और न ही देखा था, जिससे आरोपी की घटना के समय पहचान संदेहास्पद है, आरोपी राहुल नामदेव की पहचान कार्यवाही बाल साक्षी धर्मंजय सिंह से नहीं कराई गई, जिससे आरोपी राहुल नामदेव घटना के शामिल था, यह संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। इस संबंध में बाल साक्षी धर्मंजय सिंह (अ0सा04) के प्रति परीक्षण के पैरा—11 के अवलोकन से स्पष्ट है कि साक्षी ने यह बताया है कि आरोपी राहुल उसके घर से लगभग 05 कि0मी0 दूर पुरानी बस्ती बुढ़ार में रहता है, उसके साथ न तो पढ़ता था और न ही उसका रिश्तेदार है, घटना दिनांक को पहली बार देखा था। यह भी बताया है कि घटना के पूर्व कभी राहुल के घर नहीं गया और न ही राहुल उसके घर आया, जिससे यह स्पष्ट है कि वह राहुल नामदेव को घटना के पहले से नहीं जानता था और न ही नाम जानता था। किन्तु साक्षी ने स्पष्ट किया है कि आरोपी राहुल घटना के बाद उसके मोहल्ले में घूम रहा था तब एक अंकल ने उसे राहुल कहकर बुलाया था, तब वह राहुल का नाम जानता रहा। यद्यपि उस अंकल का नाम न जानना बताया है किन्तु यह बताया है कि उसके घर के बगल में जहां गांजा बिकता है, वहीं उन्होने राहुल का नाम लेकर बुलाया था, जिससे राहुल का नाम घटना के बाद से जानना बताया है और जब उसके साथ आरोपी राहुल नामदेव ने घटना कारित की, तब आरोपी राहुल का नाम जानता था। उक्त कथन अस्वाभाविक नहीं है, बल्कि विश्वास योग्य है। घटना दिनांक को आरोपी राहुल व उसके साथी सुमित कुचवदिया को देखा था, जो मृतक दलबी को ईंट और डण्डे से मार रहे थे। राहुल नामदेव का नाम घटना के बाद उसने अपने घर की दुकान के पास जब वहां राहुल नामदेव घूम रहा था, को एक व्यक्ति द्वारा उसका नाम लेते हुए सुना था। प्रति परीक्षण में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया कि उसने आरोपी राहुल नामदेव और उसके साथी सुमित कुचवदिया को मृतक दलबी कोल को मारते हुए नहीं देखा, जिससे राहुल नामदेव की उक्त साक्षी से पहचान परेड न कराने से कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। आरोपी राहुल नामदेव के नाम और शकल से परिचित था।

64— आरोपी सुमित कुचवदिया के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया कि आरोपी सुमित कुचवदिया, आरोपी राहुल नामदेव का दोस्त नहीं है और न ही वह घटना में शामिल था। पहचान परेड कार्यवाही जो बाल साक्षी धर्मंजय सिंह (अ0सा04) से कराई गई है, वह विश्वसनीय नहीं है। क्योंकि अपने कथन में पैरा—9 में बताया है कि उसने बुढ़ार जेल में पहचान की थी, जब कि पहचान कार्यवाही शहडोल जिला जेल में हुई है और यह भी बताया है कि पहचान कार्यवाही के पहले पुलिस द्वारा मोबाइल में फोटो दिखाए गए थे और कहा था कि जेल के अंदर जाकर इसी लड़के को पहचानना, जिसकी फोटो दिखाई गई थी। कथन के पैरा—10 में बताया है कि अकेले सुमित कुचवदिया को पहचान के लिये जेल के बाहर लेकर आए थे, तब उसने पहचाना था कि यही लड़का है, जिससे पहचान कार्यवाही विश्वसनीय नही है।

65— आरोपी सुमित कुचवदिया के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क के समर्थन में न्याय **<u>दृष्टांत संधू प्रधान विरूद्ध उडीसा राज्य, सीआरएलजे 2020, पेंज 55,</u>** के मामले में प्रतिपादित न्याय दृष्टांत पेश किया है, जिसमें पैरा–9 में यह अभिमत दिया गया है कि जहां मजिस्ट्रेट के समक्ष पहचान कार्यवाही के पहले आरोपी को पुलिस स्टेशन में साक्षी को दिखा दिया गया है, जैसा कि साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है, वहां पहचान कार्यवाही विश्वसनीय नहीं है।

66— अभियोजन के इस मामले में यह सही है कि साक्षी धर्मंजय सिंह (अ0सा04) ने अपने कथन के प्रतिपरीक्षण में बताया कि उसने बुढ़ार जेल में आरोपी सुमित कुचवदिया की पहचान की थी और पुलिस द्वारा मोबाइल में फोटो पहचान कार्यवाही के पहले उसे दिखाना बताया है, किन्तु साक्षी रामाधार अहिरवार (अ0सा014) कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, बुढ़ार द्वारा अपने कथन में यह स्पष्ट बताया है कि दिनांक 10.09.2018 को जिला जेल शहडोल में पहचान कार्यवाही कराई। प्र0पी07 के पहचान मेमो में पहचान कराने का स्थान जिला जेल शहडोल लेख है और उप जेल अधीक्षक के पहचान कार्यवाही में हस्ताक्षर है। साक्षी ने यह भी बताया है कि आरोपी सुमित कुचवदिया को धर्मंजय सिंह ने सिर में हाथ रखकर पहचाना था, पहचान परेड में 05 मिलते जुलते कद कांठी के व्यक्ति रखे गये थे। प्रति परीक्षण मे इस तथ्य को इंकार किया है कि बुढ़ार उपजेल में पहचान कार्यवाही कराई गई थी। इस तथ्य से भी इंकार किया है कि शहडोल जिला जेल शहडोल में शिनाख्तगीकर्ता धर्मंजय सिंह नहीं आए थे। इस तथ्य को भी इंकार किया है कि थाने में बैठकर सभी कार्यवाहियां कर ली गई थी, जिससे बाल साक्षी धर्मंजय सिंह (अ0सा04) के कथन में आए उक्त तथ्यों के आधार पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। वह बाल साक्षी है पहचान कार्यवाही दिनांक 10.09.2018 के काफी दिन बाद दिनांक 24.01. 2020 को न्यायालय में कथन हुए हैं।

67— साक्षी धर्मंजय सिंह(अ.सा.4) ने न्यायालय में भी आरोपी सुमित कुचवदिया की पहचान की है और बताया है कि राहुल नामदेव घटना में शामिल था। पहचान परेड की साक्ष्य पुष्टिकारक साक्ष्य होती है और न्यायालय में की गई पहचान की साक्ष्य, तात्विक साक्ष्य होती है। आरोपी सुमित कुचवदिया को उक्त बाल साक्षी ने घटना के दौरान आरोपी राहुल नामदेव के साथ देखा था, जिससे उक्त साक्षी के कथन से आरोपी सुमित कुचवदिया की पहचान संदेहास्पद नहीं है। साक्षी धर्मंजय सिंह (अ0सा04) के प्रति परीक्षण में आए कतिपय विरोधाभासी तथ्यों के आधार पर उसके कथन को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता कि उसने आरोपी राहुल नामदेव के साथ आरोपी सुमित कुचवदिया को घटना कारित करते हुए नहीं देखा। प्रस्तुत उपरोक्त न्याय दृष्टांत से कोई लाभ नहीं मिलता है।

68— आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि इस मामले में बाल साक्षी धर्मंजय सिंह (अ0सा04) अकेले चक्षुदर्शी साक्षी है, उसके कथन विरोधाभासी हैं, उसे सम्पूर्ण तथ्य याद नहीं रह सकते, सिखाया, पढ़ाया गया, जिससे कथनों में विश्वास नहीं किया जा सकता कि आरोपीगण द्वारा घटना कारित करते हुए देखा गया हो। न्याय दृष्टांत **<u>पंछी विरूद्ध स्टेट ऑफ यू0पी0 (1998) 7 एस0सी0सी0 177</u>** के मामले में

माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि बाल साक्षी की साक्ष्य को अधिक सावधानी से और अधिक चौकन्ना रहते हुए मूल्यांकन करना चाहिए, यदि उसकी पुष्टि नहीं होती तो उसे पूरी तरह निरस्त नहीं किया जा सकता। बाल साक्षी जिसने घटना का कुछ भाग देखा है, उसे विश्वसनीय माना गया है। बाल साक्षी को सिखाए जाने की संभावना रहती है इसलिये उसकी साक्ष्य बड़ी सावधानी से छान–बीन किया जाना चाहिए। न्याय दृष्टांत **स्टेट ऑफ यू0पी0 विरूद्ध कृष्णा मास्टर ए 0आई0आर0 2010 एस0सी0 3071** के मामले में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि एक बाल साक्षी तथ्यों को याद नहीं रख सकता, ऐसा कोई कानून या नियम नहीं है, एक बालक असामान्य घटनाओं को जो उसके जीवन में घटित होती हैं, उसे बचे हुए जीवन में कभी नहीं भूलता, उसके मन में किसी के प्रति द्वेष या बुराई नहीं होती। न्याय दृष्टांत **सूर्य नारायण विरूद्ध स्टेट ऑफ कर्नाटक (2001) 9 एस0सी0सी0 129** के मामले में माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि अल्पवय या टेंडर एज का साक्षी है, मात्र इस आधार पर उसकी साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता। न्यायालय किसी बाल साक्षी के साक्ष्य की पुष्टि नियम के रूप में नहीं बल्कि सावधानीपूर्वक मांग सकती है, एकमात्र बाल साक्षी की साक्ष्य भी दोषसिद्धि का आधार हो सकती है। यदि वह विश्वसनीय पाई जाती है, तो विश्वास किया जा सकता है।

69– अभियोजन के इस मामले में बाल साक्षी धर्मंजय सिंह (अ0सा04) के कथन का सावधानीपूर्वक परिशीलन किये जाने पर उसका कथन इस संबंध में अखण्डित नहीं है कि उसने घटना दिनांक को आरोपीगण को मृतक दलबी कोल के साथ मार–पीट करते न देखा हो। साक्षी ने यह भी बताया है कि मार–पीट के बाद उसका सिर गले तक रेत में दबा दिया था। साक्षी घटना कारित करते समय डर के कारण आवाज नहीं लगाया था, उसने अपनी मां को बताया था किन्तु उसकी मॉ अंतरा देवी (अ0सा08) ने अपने पुत्र को पुलिस के डर से बचाने के लिए किसी को नहीं बताया था, जब आरोपी राहुल नामदेव ने उक्त बाल साक्षी के साथ घटना कारित कर मार–पीट की और धमकाया था कि किसी को बताया तो मार देगा, तब घटना पुलिस को बताई गई थी। प्रति परीक्षण में साक्षी का कथन खण्डित नहीं है, जिससे बाल साक्षी धर्मंजय सिंह (अ0सा04) के कथन में अविश्वास नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसके कथन से यह प्रमाणित है कि आरोपीगण द्वारा ही मृतक दलबी कोल के साथ मार–पीट कर उसकी हत्या की गई है, धारा 134 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत् किसी तथ्य को साबित करने की साक्षियों की संख्या की आवश्यकता नहीं है, एकल साक्षी के विश्वसनीय कथन के आधार पर तथ्य प्रमाणित माना जा सकता है, जिससे विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है कि बाल साक्षी धर्मंजय सिंह (अ0सा04) का कथन विश्वास योग्य नहीं है।

70– आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि मामले में मृतक दलबी कोल की हत्या किये जाने का आशय प्रमाणित नहीं

होता है, जिससे आरोपीगण के विरूद्ध कोई अपराध प्रमाणित नहीं होता है। किन्तु यह तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है, क्योंकि आरोपीगण ने मृतक दलबी कोल से शराब पीने के लिये रूपयों की मांग कर रहे थे, न देने पर मार–पीट की थी और 400/– रूपये निकाल लिये थे, जिसमें से 250/– रूपये आरोपी राहुल नामदेव से बरामद हुए हैं, शेष खर्च कर दिये हैं। मृतक के सिर व चेहरे में ईंट व डण्डे से कई चोंटे पहुंचाई गई है, जबड़े व कालर बोन में अस्थि भंग भी पाया गया है, मारने के बाद उसका चेहरा गर्दन तक बालू में ढक दिया था, जिससे आरोपीगण का आशय हत्या करने का प्रकट होता है।

71– उपरोक्त अभियोजन के मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के विवेचन से यह युक्ति–युक्त संदेह से परे प्रमाणित है कि घटना दिनांक 02.08.2018 व 03.08.2018 की रात्रि आरोपी राहुल नामदेव एवं सुमित सिंह कुचवदिया ने सामान्य आशय निर्मित कर मृतक दलबी कोल के साथ ईंट के टुकड़े एवं लिपटिस के डण्डे से सिर व चेहरे में स–आशय मार–पीट कर चोंटे पहुंचा कर हत्या कारित की और उसका सिर गले तक बालू में ढक दिया था। दोनो आरोपीगण ने मिलकर स–आशय मृतक दलबी कोल की हत्या की है, जो धारा 302 सहपठित धारा 34 भा0दं0सं0 के तहत् दण्डनीय अपराध है।

72– आरोपी राहुल नामदेव, मृतक दलबी कोल को यह जानता था कि वह अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है, इस संबंध में मृतक दलबी कोल के लड़के साक्षी रामबोध कोल (अ0सा05) ने अपने कथन में बताया है कि उसने घटना के पूर्व आरोपी राहुल नामदेव को उसके पिता से तम्बाखू मांगते हुए देखा था अर्थात् आरोपी राहुल नामदेव, दलबी कोल के पास आता–जाता था और मृतक को जानता था कि वह अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। प्रतिपरीक्षण में इस तथ्य का कोई खण्डन नहीं है। आरोपी राहुल नामदेव ने यह जानते हुए कि मृतक दलबी कोल अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, ने सह आरोपी सुमित कुचवदिया के साथ मिलकर हत्या कारित करने की घटना की है, जिससे आरोपी राहुल नामदेव के विरूद्ध **धारा 3(2)(5) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989** अपराध भी प्रमाणित होता है, जब कि आरोपी सुमित सिंह कुचवदिया अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, जैसा कि उपर विवेचित किया गया है, जिससे आरोपी सुमित सिंह कुचवदिया के विरूद्ध **धारा 3(2)(5) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का अपराध प्रमाणित नहीं होता क्योकि वह अनुसूचित जाति वर्ग का है।**

73– परिणामस्वरूप आरोपी सुमित सिंह कुचवदिया के विरूद्ध यह युक्ति–युक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं है कि वह अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य न होकर, मृतक दलबी कोल को अनुसूचित जनजाति का सदस्य होना जानते हुए, उसकी हत्या कारित की। अतः आरोपी सुमित सिंह कुचवदिया को **धारा 3(2)(5) अनुसूचित जाति एवं**

अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अपराध में **दोषमुक्त** किया जाता है।

74— अतः अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मौखिक, दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर **आरोपी राहुल कुमार नामदेव एवं सुमित सिंह कुचवदिया के विरूद्ध युक्ति—युक्त संदेह से परे अपराध प्रमाणित होने पर उन्हें भा0दं0सं0 की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध** ठहराया जाता है। साथ ही आरोपी राहुल कुमार नामदेव को **धारा 3(2)(5) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अपराध के आरोप में भी दोषसिद्ध ठहराया जाता है।** आरोपीगण को न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

75— दं0प्र0सं0, 1973 की धारा 235 (2) के अनुसार आरोपी राहुल कुमार नामदेव एवं सुमित सिंह कुचवदिया को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय लेखन स्थगित किया गया।

(बी0एल0प्रजापति)
विशेष न्यायाधीश(एससी/एसटी एक्ट)
शहडोल (म0प्र0)

<u>दण्डादेश</u>

76— आरोपी राहुल कुमार नामदेव एवं सुमित सिंह कुचवदिया तथा उनके विद्वान अधिवक्ता व अभियोजन के प्रतिनिधि को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपीगण एवं उनके विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि आरोपीगण का पहला अपराध है। आरोपीगण गरीब व्यक्ति है तथा नवयुवक हैं, उनके जेल में रहे आने से उनका परिवार प्रभावित होगा, इसलिए नर्म रूख अपनाया जावे, जबकि अभियोजन के प्रतिनिधि का कहना है कि अपराध गंभीर प्रकृति का है और आरोपीगण ने मृतक दलबी कोल के साथ ईंट के टुकड़े एवं लिपटिस के डण्डे से मार पीट कर हत्या किया है। अतः अधिकतम् दण्ड से दण्डित किया जावे।

77— न्याय दृष्टांत **<u>स्टेट ऑफ एम0पी0 बनाम बालू 2005 (1) एस.सी.सी. 108</u>** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि अपर्याप्त दण्ड देने से समाज में न्यायालय के प्रति गलत संदेश जाता है। अपराध की प्रकृति के अनुसार पर्याप्त कड़ा दण्ड दिया जाना चाहिए। न्याय दृष्टांत **<u>रमन बनाम फ्रांन्सिस 1988 कि.लॉ. जनरल 1359</u>** में

माननीय केरल उच्च न्यायालय ने दण्डादेश के संबंध में इस प्रकार का मत प्रकट किया है –''अपर्याप्त दण्डादेश विधि व्यवस्था को हानि पहुंचा सकते हैं। विधि को अपराधीकरण की ओर से मिलने वाली चुनौतियों का सामना करना चाहिए। डगमगाती दुर्बलता को घेरने वाली मत्तप्रायः भावनाएं छिपी नहीं रह सकती हैं। सुधारवादी भावनाएं किसी युक्ति–युक्त दण्डादेश प्रणाली के किसी काम नहीं आ सकती हैं। गलत धारणाओं पर टिके उदारवादी दृष्टिकोंण का समर्थन नहीं किया जा सकता है।'' अतः आरोपीगण को पर्याप्त दण्ड दिया जाना न्यायोचित है।

78– आरोपी राहुल कुमार नामदेव एवं सुमित सिंह कुचवदिया के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 302 सहपठित धारा 34 तथा आरोपी राहुल कुमार नामदेव के विरूद्ध धारा 3(2)(5) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत अपराध दोषसिद्ध हुआ है। आरोपीगण ने जिस प्रकार से मृतक की ईंट के टुकड़े एवं लिपटिस के डण्डे से मार पीट कर स–आशय हत्या की है, उस परिस्थिति में आरोपीगण रियायत के पात्र नहीं है। अभियोजन का मामला विरल से विरलतम् श्रेणी का नहीं है, जिससे आरोपीगण को मृत्युदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित नहीं है।

79– अतः समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत् रखते हुए आरोपी **राहुल कुमार नामदेव** को **भा0दं0सं0 की धारा 302 सहपठित धारा 34 एवं धारा 3(2)(5) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989** के आरोप में दोषी पाते हुए क्रमशः **आजीवन कारावास एवं आजीवन कारावास की सजा** 5,000/– व 5,000/– रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में आरोपी को एक वर्ष व एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा भुगताई जावे।

80– आरोपी सुमित सिंह कुचवदिया को **भा0दं0सं0 की धारा 302 सहपठित धारा 34** के आरोप में दोषी पाते हुए **आजीवन कारावास, की सजा** एवं 5,000/– रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में आरोपी को एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा भुगताई जावे।

81– आरोपी राहुल कुमार नामदेव को दी गई दोनों सजाएं साथ–साथ भुगतायी जावें। आरोपीगण द्वारा अभिरक्षा में व्यतीत अवधि को

द0प्र0सं0, 1973 की धारा 428 के आलोक में मुजरा की जावे। अभिरक्षा प्रमाण–पत्र संलग्न किया जावे।

82– प्रतिकर दिलाये जाने बावत् इससे संबंधित दं0प्र0सं0, 1973 की धारा 357 के उपबंधों का उदारतापूर्वक प्रयोग किया जाना चाहिए। आरोपीगण को अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि जमा होने पर या वसूल होने पर मृतक दलबी कोल के पुत्र रामबोध कोल (अ0सा05) एवं मन्नूलाल कोल (अ0सा06), निवासी गोपालपुर, थाना बुढ़ार, जिला शहडोल (म0प्र0) को दी जावे। चूंकि प्रतिकर की राशि कम है और आरोपीगण बहुत ही गरीब प्रकृति के व्यक्ति दिखते हैं, मृतक दलबी कोल का परिवार कमाने वाला व्यक्ति था इसलिए मृतक के पुत्र या अन्य आश्रित को जांच कर उचित प्रतिकर दिलाये जाने बावत् म0प्र0 पीड़ित प्रतिकर अधिनियम, 2015 के प्रावधान के तहत निर्णय की कॉपी मय मेमो के सचिव डालसा शहडोल को भेजा जाये और उनसे अपेक्षा की जाय कि वे जांच कर उचित प्रतिकर की राशि मृतक ललुआ बैगा के विधिक वारिसान/ आश्रित को दिलाने के बावत् कार्यवाही करें।

83– प्रकरण में जप्तशुदा मुद्देमाल ईंट का टुकड़ा, लिपटिस का डण्डा एवं मृतक के कपड़े मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे। प्रकरण में जब्त राशि 250/– रूपये मृतक दलबी कोल के वारिसों को अपील अवधि पश्चात् वापिस किया जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो।

निर्णय की प्रति निःशुल्क अभियुक्त राहुल कुमार नामदेव एवं सुमित सिंह कुचवदिया को प्रदाय की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित दिनांकित घोषित।

मेंरे निर्देश पर टंकित ।

(बी0एल0प्रजापति)
विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989
शहडोल (म0प्र0)

(बी0एल0प्रजापति)
विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989
शहडोल (म0प्र0)

Bhoore Lal Prajapati

Digitally signed by Bhoore Lal Prajapati
Date: 2023.03.14 18:45:23 +0530